v/;k; 5
'kgjh LFkkuh; fudk;ksa esa rsjgosa foRr vk;ksx ds vuqnkuksa ds miHkksx ij fu"iknu ys[kkijh{kk

dk;Zdkjh lkjka'k

कर संग्रहण एवं सहायता अनुदान के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 13वें वित्त आयोग का गठन (नवम्बर 2007) किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों हेतु अनुशंसित किए गए अनुदानों की अवमुक्ति एवं उपभोग हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गए (सितम्बर 2010) थे। अनुदान के दो भाग थे, सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान। शहरी स्थानीय निकायो हेतु 2010–15 की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य को सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान में हिस्सेदारी, समस्त राज्यों को दी जाने वाली कुल अनुदान राशि के 3.427 प्रतिशत निश्चित की गयी थी। विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में आवंटन का निर्धारण सम्बन्धित प्रदेश द्वारा किया जाना था। वर्ष 2010–15 की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को तेरहवें वित्त आयोग का अनुदान ₹ 3,130.90 करोड़ अवमुक्त किया गया। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार अनुदानों का अन्तरण विनिर्दिष्ट चार सेवाओं; जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं वर्षा जल निकासी के संवर्धन हेतु उपयोग किया जाना था एवं तदनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के लिए चारों सेवाओं के सापेक्ष सेवा मानकों के लक्ष्य को अधिसूचित करना था।

तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपभोग पर निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए प्रदेश के 54 शहरी स्थानीय निकायों का चयन किया गया। लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रबन्धन, आयोजना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में विभिन्न कमियाँ उजागर हुयी। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों पर निम्नानुसार प्रकाश डाला जा रहा है:

fuf/k izcU/ku

- उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा–निर्देशों (सितम्बर 2014) के अनुसार बैंक में खोले गये बचत खातों में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज को राजकीय कोषागारों में जमा किया जाना था। जबकि, नमूना जाँच किए गए 54 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2010–15 की अवधि में बचत बैंक खातों में जमा धनराशि पर ₹ 14.42 करोड़ ब्याज अर्जित किया गया था जिसे राजकीय कोषागारों में जमा नही किया गया था।

¼iSjk 5-6-3½

- तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण किये बिना, राज्य सरकार द्वारा सामान्य निष्पादन अनुदान की राशि ₹ 812.83 करोड प्राप्त की गयी थी।

¼iSjk 5-6-4½

- अनुदान की धनराशि अपने पास रोके रखने के कारण 2010–15 की अवधि में राज्य सरकार को ₹ 1.05 करोड़ ब्याज के रूप में आय हुयी, परन्तु इस विलम्ब के लिए, अर्जित ब्याज की धनराशि शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित नहीं की गयी।

¼iLrj 5-6-5½

- वर्ष 2013–15 की अवधि में नगर निगम, अलीगढ़ एवं लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम को ₹ 6.91 करोड़ की धनराशि विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु अन्तरित की गयी थी, परन्तु परियोजना के जुलाई 2015 तक पूर्ण हो जाने के बाद भी जल निगम द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण अंतरित की गयी राशि असमायोजित पड़ी हुयी थी।

¼iLrj 5-6-8½

fu;kstu

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष के दौरान कार्यों के सम्पादन हेतु वार्षिक कार्य–योजना नहीं बनायी गयी थी, अपितु तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान प्राप्त होने के बाद चिन्हित कार्यो हेतु उनके पूर्ण किये जाने की कोई समय सीमा का उल्लेख किये बिना निधियों का आवंटन किया गया था।

¼iLrj 5-7-1½

- गैर अनुमन्य कार्यों के सम्पादन पर 33 शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 12.25 करोड़ व्यय किया गया था।

¼iLrj 5-7-2½

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर पंचायतों के लिए चारों विनिर्दिष्ट सेवाओं के सन्दर्भ में सेवा मानक अधिसूचित नही किये गये थे जैसा कि तेरहवें वित्त आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार वांछित था।

¼iLrj 5-7-3½

dk;kZo;u

- नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में, नगर निगम अलीगढ़ एवं नगर पालिका परिषद, इटावा के अतिरिक्त अन्य सभी में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु उपयुक्त व्यवस्था का अभाव था। इसी प्रकार, नमूना जाँच किए गए राज्य के 12 जनपदों में जैव– चिकित्सकीय अपशिष्ट का प्रबन्धन पर्याप्त नहीं था।

(iLrj 5-8-1 ,oa 5-11-3-3½

- नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों द्वारा विवाद रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना नालों का निर्माण प्रारम्भ किए जाने के कारण अपूर्ण नालों के निर्माण पर ₹ 2.27 करोड़ व्यय किया गया था।

¼iLrj 5-8-2-1] 5-9-4-1] 5-11-4-1 ,oa 5-12-4-1½

- चार सेवाओं की सुपुर्दगी के सेवा मानकों में वर्गीकृत होते हुए भी लखनऊ, सीतापुर एवं इटावा जनपदों के अतिरिक्त सीवरेज सम्बन्धी कार्यो हेतु लक्ष्य निर्धारित नही किये गये थे। नगर पालिका परिषद, इटावा में सीवरेज प्रणाली घरों से संयोजन न होने के कारण संचालित नहीं थी, जबकि नगर निगम फिरोजाबाद में सीवेज प्रशोधन संयंत्र निर्मित न होने के कारण यह प्रणाली अप्रयुक्त पड़ी हुयी थी।

¼iLrj 5-9-2-1] 5-11-2 ,oa 5-11-2-1½

- नगर निगम लखनऊ में प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले 675 मिलियन लीटर सीवेज में से मात्र 185 मिलियन लीटर का ही शोधन दो सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में किया जा रहा था।

¼iLrj 5-10-1½

- चौदह शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 94.86 लाख के उपकरण/संयंत्र अनुपयोगी पड़े हुये थे।

¼iLrj 5-8-2-2] 5-11-3-3 ,oa 5-12-3-3½

vuqJo.k

- राज्य स्तर एवं जनपद स्तर पर अनुश्रवण प्रणाली का अभाव था। उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा कार्यो के सम्पादन एवं अनुदानों के उपभोग की समीक्षा न करके मात्र शहरी स्थानीय निकायों अनुदानों की अनुशंसा एवं प्रशासनिक विभाग से उपयोगिता प्रमाण पत्रों की माँग की गयी थी।

¼iLrj 5-13½

5-1 iLrkouk

कर संग्रहण एवं सहायता अनुदान के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 13वें वित्त आयोग का गठन (नवम्बर 2007) किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों हेतु गत वर्ष के करों के विभाज्य पूल के प्रतिशत के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत इस अंश को सहायता अनुदान में परिवर्तित करते हुये अनुदान की अनुशंसा की गयी थी। अनुदान के दो भाग थे; सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान। तेरहवें वित्त आयोग की अवधि (2010–15) में प्रत्येक राज्य को उपलब्ध करायी जाने वाली सामान्य बुनियादी अनुदान की धनराशि गत वर्ष के विभाज्य पूल के 1.5 प्रतिशत के बराबर थी। जबकि सामान्य निष्पादन अनुदान प्रत्येक राज्य को 2011–12 से चार वर्ष तक, वर्ष 2010–11 के लिए गत वर्ष के विभाज्य पूल के 0.5 प्रतिशत की दर पर एवं उसके पश्चात वर्ष 2014–15 तक एक प्रतिशत की दर पर उपलब्ध करायी गयी थी। शहरी स्थानीय निकायों हेतु उत्तर प्रदेश राज्य को सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान की हिस्सेदारी 2010–15 की अवधि में इन हेतु समस्त राज्यों को दी जाने वाली अनुदान की कुल राशि के 3.427 प्रतिशत पर निश्चित की गयी थी। शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान, व्यय की शर्तों से अबद्व एवं अनुदान की अवमुक्ति पूर्ववर्ती किस्तों के उपभोग प्रमाण–पत्र के प्रस्तुतीकरण पर ही की जानी थी।

भारत सरकार के उपरोक्त दिशा–निर्देशों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की अवमुक्ति एवं उपभोग हेतु दिशा निर्देशक सिद्धान्त जारी किए गए (मई 2011)। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार अनुदानों का अन्तरण विनिर्दिष्ट चार सेवा क्षेत्रों; जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं वर्षा जल निकासी के संवर्धन हेतु उपभोग किया जाना था। तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार के निर्देश में यह अपेक्षा की गयी थी कि राज्य सरकार प्रत्येक नगर निगम एवं नगर पालिकाओं को विनिर्दिष्ट चार सेवा क्षेत्रों हेतु सेवा मानक भी अधिसूचित करें। राज्य सरकार को प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के लिए चारों सेवाओं के सन्दर्भ में सेवा मानक अधिसूचित करने थे।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2010–15 की अवधि में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की राशि ₹ 3,130.90 करोड़ अवमुक्त की गयी।

5-2 lxBukRed <kpk

शहरी स्थानीय निकायों हेतु प्राप्त अनुदानों के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के क्रियान्वित, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग एवं विभागीय स्तर पर निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तरदायी थे। शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर कार्यो के सम्पादन हेतु नगर निगम के लिये नगर आयुक्त, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत हेतु अधिशासी अधिकारी उत्तरदायी थे। संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:–

pkV! 1½ uxj fodkl foHkkx dk lxBukRed <kpk

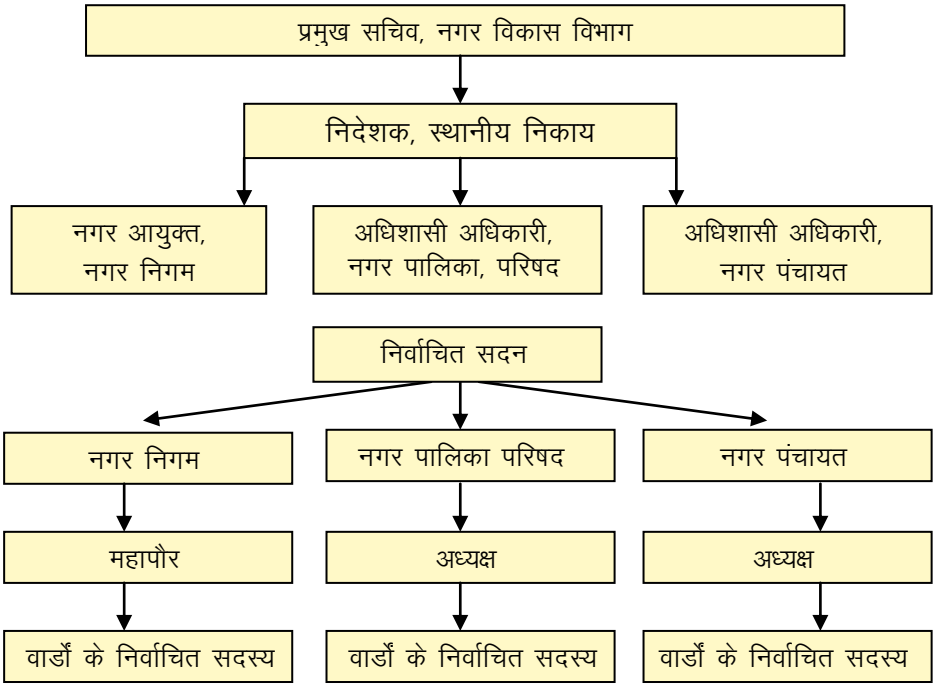

(स्रोतः उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959, नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1916)

5-3 y[kkijh{kk mnns';

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- वित्तीय प्रबन्धन मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावकारी था एवं अनुदानों का उपभोग निर्धारित प्रयोजनों हेतु किया जा रहा था;
- आयोजना पद्धति प्रभावकारी एवं तेरहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप थी;
- कार्यों/परियोजनाओं का सम्पादन निर्धारित मानदण्डों एवं विशिष्टियों के अनुरूप किया गया था एवं विकसित किये गये संरचनात्मक ढांचे का उपयोग निर्धारित प्रयोजनों हेतु किया गया था; एवं
- दिशा निर्देशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अनुश्रवण प्रणाली विद्यमान थी।

5-4 y[kkijh{kk ekun.M

मानदण्ड के निम्नलिखित स्रोत थेः

- योजना की मार्गदर्शिका, शासकीय आदेश एवं निर्देशिका इत्यादि।
- वित्तीय नियमों के प्रावधान, लोक निर्माण विभाग नियमावली, विभागीय नियमावली व अधिनियम एवं अन्य अद्यतन प्रभावी विधियां एवं नियम।
- विभाग द्वारा रखे जाने/प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न प्रतिवेदन एवं विवरणियां।
- भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सेवा मानकों पर हस्तपुस्तिका।
- नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन), नियमावली, 2000

5-5 y[kkijh{kk dk {k= ,oa i)fr

तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान का 12 जनपदों के शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपभोग पर माह अप्रैल से जुलाई 2015 की अवधि में कुल 630 शहरी स्थानीय निकायों में से 54 *¼ifjf'k"V 5-1½* (14 में से तीन[1] नगर निगमों, 193 में से 18 नगर पालिका परिषदों एवं 423 में 33 नगर पंचायतों) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं सचिव, नगर विकास विभाग व निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी। जनपदों का चयन सिंपल रैण्डम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट पद्धति से किया गया। निष्पादन लेखा परीक्षा, सचिव, नगर विकास विभाग के साथ प्रारम्भिक बैठक से प्रारम्भ की गयी (16 अप्रैल 2015), जिसमे लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदण्ड तथा पद्धति की चर्चा की गयी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक चयनित नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में न्यूनतम दो कार्यों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया गया।

समापन बैठक आयोजित करने की तिथि प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग से बार–बार अनुरोध किये जाने के बाद भी प्रतीक्षित थी। यद्यपि, लेखा परीक्षित इकाईयों से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में सुसंगत स्थानों पर सम्मलित किया गया है।

y[kkijh{kk fu"d"kZ

5-6 foRrh; izcU/ku

5-6-1 foRrh; ifr:i

तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों को प्रदेश के स्थानीय निकायों को दो भागों में वितरित किया जाना थाः (i) सामान्य बुनियादी अनुदान (2010–15 के लिये) एवं (ii) सामान्य निष्पादन अनुदान (2011–15[2] के लिये) की राशि तभी अवमुक्त की जानी थी जबकि भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देशिका के प्रस्तर 6.4.1 से 6.4.11 के अनुसार निर्धारित नौ शर्तों का अनुपालन किया गया हो *¼ifjf'k"V 5-2½*।

[1] नगर पालिका परिषद फिरोजाबाद को माह सितम्बर 2014 में नगर निगम के रूप में उच्चीकृत किया गया।
[2] सामान्य निष्पादन अनुदान की राशि वर्ष 2011–15 की अवधि हेतु उन राज्यों के लिए उपलब्ध थी जिनके द्वारा निर्धारित नौ शर्तों को पूरा किया गया था।

5-6-2 foRrh; fu"iknu

वर्ष 2010–15 की अवधि में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की प्राप्ति एवं उसके सापेक्ष व्यय की स्थिति lkj.kh 1 में दी गयी है:

lkj.kh 1% o"k 2010&15 esa ikfIr ,oa 0;; dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa½

o"k	Hkkjr ljdkj }kjk mRrj izns'k dks fy;s Lohd`r cfu;knh vuqnku	Hkkjr ljdkj }kjk mRrj izns'k dks fy;s Lohd`r fu"iknu vuqnku	vfrfjDr vkf/kD; vuqnku	;ksx ¼dkye 3 ls 4½	mRrj izns'k ljdkj }kjk 'kgjh LFkkuh; fudk;ksa dks voeqDr	0;;
2010-11	274.92	--	--	274.92	274.92	274.92
2011-12	318.83	109.02	89.66	517.51	517.51	517.51
2012-13	372.60	255.72	128.16	756.48	756.48	756.48
2013-14	441.5	301.63	16.88	760.01	760.01	760.01
2014-15	451.55	146.46	223.97	821.98	821.98	821.98
;ksx	**1,859.40**	**812.83**	**458.67**	3]130.**90**	**3,130.90**	**3,130.90**

(स्रोतः निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (जुलाई 2010) के अनुसार प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को उन्हें अन्तरित किये गये अनुदान के सापेक्ष उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। जबकि, अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 54 शहरी स्थानीय निकायों में से 45 द्वारा 2010–15 की अवधि में उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और शेष नौ शहरी स्थानीय निकायों[3] द्वारा 2010–15 की अवधि में उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

नमूना रूप में चयनित 54 शहरी स्थानीय निकायों में 2010–15 की अवधि में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की उपलब्ध एवं व्यय धनराशि की स्थिति *ifjf'k"V 5-3* में विस्तार से दी गयी है एवं निम्नलिखित pkVZ 2 में भी चित्रित है

pkVZ 2% miyC/k fuf/k ,oa 0;; /kujkf'k

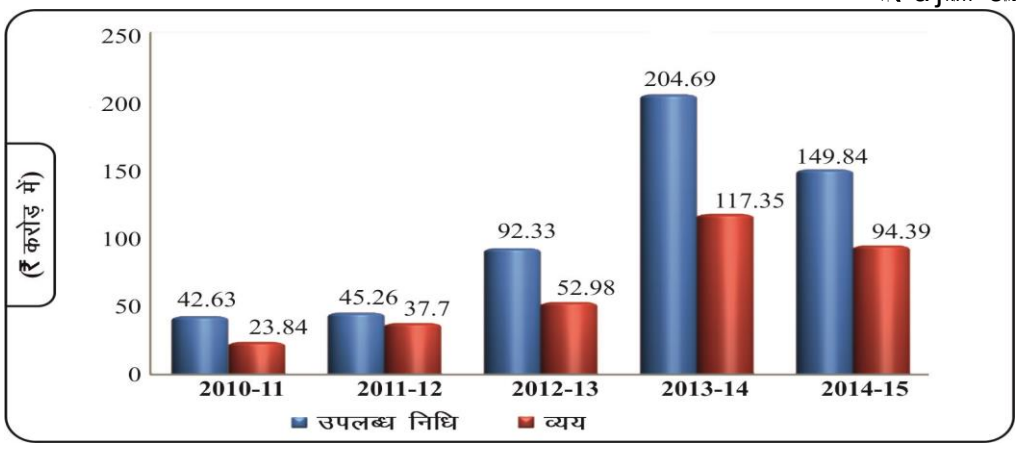

¼₹ djksM+ esa½

(स्रोतः नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदत्त सूचना)

[3] वर्ष 2012–13 तक एक शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिका परिषद–दादरी, गौतमबुद्ध नगर), वर्ष 2013–14 तक दो शहरी स्थानीय निकाय (नगर पंचायत–कोपागंज, मऊ एवं नगर पंचायत जहांगीरपुर, गौतमबुद्ध नगर) एवं वर्ष 2014–15 तक छः शहरी निकाय (नगर निगम–अलीगढ़ नगर निगम, लखनऊ, नगर पालिका परिषद मऊ, नगर पालिका परिषद अतरौली, अलीगढ़, नगर पंचायत महरौनी, ललितपुर एवं नगर पंचायत तालबेहट, ललितपुर)

जैसा कि ऊपर दिये गये pkV 2 के विवरण से स्पष्ट है, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय, आवंटित अनुदान को उपयोग करने में असफल रहे तथा 2010–15 की अवधि में व्यय उपलब्ध निधि की तुलना में 17 से 44 प्रतिशत तक कम था। *¼ifjf'k"V 5-3½*

ifjf'k"V 5-3 में यह देखा जा सकता है कि 2010–15 की अवधि में नगर निगमों में अनुदान का उपयोग 20 से 97 प्रतिशत के मध्य, नगर पालिका परिषदों में 47 से 80 प्रतिशत के मध्य और नगर पंचायतों में 52 से 79 प्रतिशत के मध्य था।

अग्रेतर, नगर पालिका परिषद, गोण्डा की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कार्ययोजना के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कराये जाने के कारण ₹ 7.51 करोड़ की धनराशि 30 मार्च 2015 को परिषद के बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी हुयी थी। इस प्रकार, नगर पालिका परिषद गोण्डा में धन की उपलब्धता होते हुये भी विकास कार्य बाधित थे। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का स्वीकार करते हुये उल्लिखित किया गया कि कार्ययोजना के अनुसार कार्यों पर धन का उपयोग किया जायेगा।

5-6-3 C;kt dh /kujkf'k dk"kkxkj e tek ugh fd;k tkuk

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये (सितम्बर 2014) कि बचत खाते पर अर्जित किया गया ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय के रूप में समझी जायेगी और इसे शासकीय कोषागार में जमा किया जाना था। जबकि, नमूना जाँच में पाया गया कि सभी 54 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 2010–15 की अवधि में बचत खातों में ₹ 14.42 करोड़ ब्याज के रूप में अर्जित किया गया था परन्तु इसे राजकीय कोषागारों में जमा नही किया गया था एवं कार्यों के निष्पादन पर भी इसका उपयोग कर लिया गया था। *¼ifjf'k"V 5-4½*

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उल्लिखित किया गया कि ब्याज के उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त नहीं हुये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जैसे कि ऊपर उल्लिखित किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुसार ब्याज के रूप में अर्जित की गयी राशि शासकीय कोषागार में जमा की जानी थी।

5-6-4 okfNr ekun.M dk i.k fd;s fcuk lkekU; fu"iknu vuqnku ikIr djuk

तेरहवें वित्त आयोग की मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर संख्या 6.4.1 से 6.4.11 के अनुसार नियमित सामान्य बुनियादी अनुदान प्राप्त करने के अतिरिक्त भारत सरकार से सामान्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रदेश सरकार को अनिवार्य नौ शर्तों का अनुपालन करना था *¼ifjf'k"V 5-2½*। मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.3 के अनुसार, निष्पादन अनुदान की निरन्तर प्राप्ति हेतु 2010–15 की अवधि में इन शर्तों को बनाये रखा जाना था। पात्रता अवधि में किसी भी समय, किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किये जाने पर राज्य निष्पादन अनुदान की प्राप्ति हेतु अपात्र होगा, जब तक कि वह दोबारा इन सभी शर्तों का अनुपालन पूर्ण न कर ले।

यद्यपि, अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूर्ण करने की अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये बिना 2011–15 की अवधि में

₹ 812.83 करोड़ का निष्पादन अनुदान प्राप्त किया गया था। अग्रेतर लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रेषित की गयी अनुपालन आख्या वास्तविक स्थिति पर आधारित नहीं थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकांश महत्वपूर्ण शर्तें पूर्ण नहीं की गयी थीं, जिनकी चर्चा नीचे की गयी है:

(i) *nksgjh ys[kk iz.kkyh ij ys[kk dk j[k j[kko–*नगर निगम अलीगढ़ एवं नगर निगम फिरोज़ाबाद के अतिरिक्त नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से कोई भी दोहरी लेखा प्रणाली पर लेखों का रख रखाव नहीं कर रहा था।

(ii) *fu;a=d ,oa egkys[kkijh{kd dk okf"kZd rduhdh ys[kkijh{kk izfronu ,oa funs'kd] LFkkuh; fuf/k ys[kkijh{kk ds okf"kZd izfronu dk jkT; fo/kkf;dk ds le{k izLrqrhdj.k&*शासन द्वारा नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कोई भी वार्षिक तकनीकी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अक्टूबर 2015 तक राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। जबकि, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2009–10 के बाद से राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

(iii) *'kgjh LFkkuh; fudk;ksa dks vuqnkuksa dk byDVªkfud varj.k–*राज्य स्तर पर लेखों का मिलान नहीं किये जाने के कारण अनुदानों के विलम्बित एवं त्रुटिपूर्ण अन्तरण के प्रकरण लेखापरीक्षा में पाये गये।

(iv) *lEifRr dj ifj"kn dk xBu ¼ih-Vh-ch-½–* सम्पत्ति कर के उपयुक्त अधिरोपण एवं वसूली से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को देखे जाने हेतु सम्पत्ति कर परिषद् का गठन किया जाना था। यद्यपि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 2011 में सम्पत्ति कर परिषद का गठन किया गया था, तथापि यह प्रभावहीन रहा क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सम्पत्ति कर परिषद् के गठन के आधारभूत प्रयोजन–जैसे सम्पत्ति कर के अधिरोपण की प्रक्रिया को सरल बनाना एवं उसकी वसूली, पूर्ण नहीं किये गये थे, जिनकी चर्चा नीचे की गयी है।

- नमूना जांच किये गये 54 शहरी स्थानीय निकायों में से चार[4] में गृहकर अधिरोपित नहीं किया गया था। शेष 50 निकायों में तीन से लेकर 25 वर्षों की अवधि से गृहकर का पुनरीक्षण नहीं किया गया था जबकि इसे प्रत्येक दो वर्षों में पुनरीक्षित किया जाना था।

- नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा भूमि को सम्पत्ति कर के दायरे में लाने के लिये सर्वेक्षण नही किया गया।

- सम्पत्ति कर की वसूली भी उपयुक्त प्रकार से नही की गयी थी क्योंकि नमूना जॉच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में मार्च 2015 तक ₹ 168.59 करोड़ की वसूली अवशेष थी। *¼ifjf'k"V 5-5½*

(v) *jkT; Lrjh; lsok ekudksa ds fu"iknu dk ewY;kadu&* अनिवार्य राज्य स्तरीय सेवा मानकों को नगर पंचायतों पर लागू नहीं किया गया था;

(vi) *vkx ls [krjs dh izfrfØ;k ,oa 'keu ;kstuk–* 10 लाख से अधिक जनसंख्या (जनगणना वर्ष 2001) वाले प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को उनके

---

[4] नगर पंचायत, सैदपुर, गाजीपुर, नगर पंचायत, अडारी (मऊ), नगर पंचायत, अमेठी एवं गोसाईगंज, लखनऊ

अधिकार क्षेत्र में आग के खतरे से प्रतिक्रिया एवं शमन योजना स्थापित करनी थी; जबकि लखनऊ नगर निगम में इसकी अधिसूचना के पश्चात एवं धन की उपलब्धता होते हुये भी उपरोक्त योजना कार्यान्वित नही की जा सकी थी।

vuq'kalk% विशिष्ट अनुदान के उपयोग के लिए शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

5-6-5 'kgjh LFkkuh; fudk;ksa dks vuqnku dk voefDr esa foyEc

तेरहवें वित्त आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान, राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति के पांच दिनों के अन्दर शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित करना था। निकायों को विलम्ब से अनुदान अन्तरण की दशा में, ब्याज की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकायों को अंतरित करनी थी।

54 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान, निकायो में 218 दिन तक के विलम्ब से प्राप्त हुये थे *¼ifjf'k"V 5-6½*। जबकि, राज्य सरकार ने 2010–15 की अवधि में रोके गये अनुदानों से ₹ 1.05 करोड़ ब्याज अर्जित किया परन्तु समानुपातिक रूप से ब्याज की धनराशि शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर निदेशक, स्थानीय निकाय ने तथ्यों को स्वीकार (जून 2015) किया और बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण नोडल बैंक के साथ मिलान नहीं किया जा सका।

5-6-6 vlek/kkfur vo'ks"k

नगर पालिका परिषद, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के 2010–15 की अवधि के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि निदेशक, स्थानीय निकाय ने तेरहवें वित्त के अनुदान की 19 किस्तें नगर पालिका परिषद के लिए अवमुक्त की, जिसमें से ₹ 2.13 करोड़, 14 किस्तों में अवमुक्त किया गया, और उसे नगर पालिका परिषद के बैंक खाते में जमा किया गया, जो आवंटित आदेश की धनराशि (₹ 2.19 करोड़) *¼ifjf'k"V 5-7½* से मेल नहीं खाती थी। अग्रेतर, अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वास्तव में यह धनराशि नगर पालिका परिषद जमानियाँ (जिला गाजीपुर की अन्य नगर पालिका परिषद) के लिये अवमुक्त की गयी थी। इस त्रुटिपूर्ण अनुदान जमा होने के परिणामस्वरुप, नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद को ₹ 5.47 लाख कम प्राप्त हुआ। नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद द्वारा उपरोक्त त्रुटि के संशोधन के लिए न तो राज्य सरकार और न ही निदेशक स्थानीय निकाय के संज्ञान में लाया गया बल्कि इन अनुदानों का उपभोग कर लिया गया।

इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय के खाते में अनुदान के त्रुटिपूर्ण अन्तरण के साथ बैंक खाते के अवशेष का असमाधानित रहना सार्वजनिक धन के दुर्विनयोग की आशंका थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि तथ्यों से निदेशक, स्थानीय नगर निकाय को अवगत कराया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस सन्दर्भ में अभिलेखीय साक्ष्य मांगे जाने के पश्चात भी उपलब्ध नहीं कराया गया (जुलाई 2015)।

5-6-7 r|jgo: foRr vk;kx d: vu|nku dk 0;kor|u

शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि का अन्य योजनाओं में उपयोग किया गया, जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

- नगर पालिका परिषद खैर, अलीगढ़ में राज्य वित्त आयोग के कार्यो के लिये अक्टूबर 2012 से जून 2015 तक की अवधि में ₹ 53.16 लाख तेरहवें वित्त आयोग की धनराशि से भुगतान किया गया *¼ifjf'k"V 5-8½*। लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, नगर पालिका परिषद खैर ने ₹ 20 लाख (जुलाई 2015) राज्य वित्त आयोग के खाते से, तेरहवे वित्त आयोग के खाते में वापस जमा किया, जबकि ₹ 33.16 लाख जुलाई 2015 तक जमा किया जाना अवशेष था।

- इसी प्रकार, नगर पालिका परिषद्, गाजीपुर में (फरवरी 2011) तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान से रु0 86.06 लाख जिला अधिकारी, गाजीपुर द्वारा तीन सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु व्यावर्तन किया गया। कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं था। नगर पालिका परिषद के कर्मचारी के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि सामुदायिक भवन अभी तक अपूर्ण पड़े थे। परिणामस्वरुप तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान से किया गया व्यय ₹ 86.06 लाख अलाभकारी रहा। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि धनराशि का हस्तान्तरण जिलाधिकारी, गाजीपुर के निर्देश पर किया गया था।

- नगर पंचायत, जलाली, अलीगढ़ में वर्ष 2012–13 में नाली के निर्माण के लिये ₹ 19.45 लाख स्वीकृत किया गया, जिसे वर्ष 2013–14 की अवधि में मार्ग प्रकाश उपकरणों के क्रय पर व्यय किया गया था। उपरोक्त क्रय संदिग्ध थे, क्योंकि क्रय सामग्रियों की मार्च 2015 तक न तो भण्डार लेखों में प्रविष्टियॉ की गयीं और न ही स्थापना हेतु निर्गत किये गये थे।

5-6-8 vlek;kftr vu|nku

वर्ष 2013–15 की अवधि में नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम को ₹ 5.81 करोड़ की धनराशि विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु अन्तरित की गयी थी *¼ifjf'k"V 5-9½* लेकिन परियोजना के पूर्ण हो जाने के (जुलाई 2015) उपरान्त भी, जल निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में धनराशि असमायोजित पड़ी हुई थी। इसी प्रकार नगर निगम लखनऊ द्वारा जल निगम (मई 2015) को ₹ 1.10 करोड़ की अन्तरित धनराशि भी असमायोजित पड़ी हुई थी *¼ifjf'k"V 5-9½*। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्बंधित नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया और बताया गया कि उपयोगिता प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त किये जायेगें।

5-6-9 djk: dk de tek fd;k tkuk

नगर पालिका परिषद्, खैर, अलीगढ़ के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु भुगतान के समय ठेकेदार के बिलों से ₹ 4.23 लाख आयकर एवं मूल्य सवंर्धित कर (वैट) की कटौती (जून 2013 से जून 2015 तक) की गयी थी। अग्रेतर, जॉच में पाया गया कि नगर पालिका परिषद द्वारा इस कटौती की धनराशि को सरकार के सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा करने के लिये

चेक निर्गत किये गये और उनकी प्रविष्टियॉ रोकड़बही में भी की गयी थी, तथापि, इन चेकों को सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा नहीं किया गया। परिणामस्वरुप, आयकर एवं वैट को उस सीमा तक कम जमा किया गया। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा आपत्ति को स्वीकार किया गया और बताया गया कि कटौती की गयी धनराशि को शीघ्र जमा किया जायेगा।

5-6-10 vufpr y[kkdu

एकल लेखा प्रणाली के स्थान पर दोहरी लेखा प्रणाली को 01 अप्रेल 2011 से अपनाया जाना था, इस सम्बन्ध में प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को दोहरी लेखा प्रणाली के लेखाओं को तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिये क्षेत्र स्तरीय सलाहकार/चार्टेड एकाउंटेंट की सेवायें ली जानी थी। क्षेत्र स्तरीय सलाहकार से नियमित कर्मचारी को प्रशिक्षण दिये जाने के पश्चात, शहरी स्थानीय निकाय को लेखाओं को तैयार करने के लिये स्वयं सक्षम होना था। तथापि हमने पाया किः

- 33 नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने प्रारम्भिक तुलन पत्र[5] (01 अप्रैल 2009 से) तैयार किया था और केवल 11 शहरी स्थानीय निकायों ने नयी प्रणाली में लेखाओं को तैयार करने के लिये अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया, परिणामस्वरुप शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नयी लेखांकन प्रणाली को नहीं अपनाया गया।

- नमूना जाँच किये गये 35 शहरी स्थानीय निकायों ने अपने लेखाओं को दोहरी लेखा प्रणाली में तैयार करने के लिये चार्टेड एकाउंटेंट/क्षेत्र स्तरीय सलाहकार के साथ अनुबन्ध किया गया। तथापि, किसी भी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने लेखाओं को दोहरी लेखा प्रणाली पर तैयार नहीं किया जा सका था और 47 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चार्टेड एकाउंटेंट/क्षेत्र स्तरीय सलाहकार को फीस के रुप में ₹ 1.38 करोड़ व्यय करने के बावजूद नयी लेखा प्रणाली को अपनाने का उद्देश्य अप्राप्त था *¼ifjf'k"V 5-10½*। निदेशक स्थानीय निकाय के निर्गत निर्देश के अनुपालन (जून 2011) में किसी भी शहरी निकाय ने तैयार लेखाओं/तुलन–पत्रों को अपने चयनित परिषद/बोर्ड के समक्ष नहीं रखा था। सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों ने अपने उत्तर में बताया कि लेखा कर्मचारी को प्रशिक्षण देने के उपरान्त लेखाओं को तैयार किया जायेगा।

vuq'kalk उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समय से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिये। समस्त शहरी स्थानीय निकायों में यथाशीघ्र दोहरी लेखा प्रणाली लागू किया जाना चाहिये।

5-7 fu;a=.k

शहरी स्थानीय निकायों में सम्पत्ति एवं सेवाओं की संरचना एवं रख–रखाव हेतु विभिन्न वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराते हुये, तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान को दक्ष एवं प्रभावशाली ढंग से उपयोग में लाने के लिये सही नियोजन प्रक्रिया लागू की जानी थी। वास्तविक आवश्यकता पर आधारित कार्यो/सेवाओं को चिन्हित किया जाना अनिवार्य था, ताकि निर्धारित चार सेवा क्षेत्रों यथा–जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं वर्षा जल निकासी में वांछित कमियों की जाँच की जा सके एवं सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

[5] लेखाओं के अद्यतन सहित प्रारम्भिक तुलनपत्र और चालू सम्पत्ति पंजिका, चिन्हित सम्पत्तियॉ, सम्पत्तियों का मूल्यांकन और सम्पत्ति पंजिका को तैयार करना।

5-7-1 okf"kd ;kstuk dk u cuk;k tkuk

राज्य सरकार द्वारा आदेशित (मई 2011) किया गया कि प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में एक कार्ययोजना बनायी जानी चाहिये। जिला स्तर पर आयुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नामित समिति द्वारा योजना का अनुमोदन किया जाना था। जिला स्तर की योजना का राज्य स्तर पर निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा समेकित किया जाना था और इसे उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना था।

शहरी स्थानीय निकाय की नमूना जॉच में पाया कि वर्ष के दौरान कार्यों के सम्पादन हेतु वार्षिक कार्ययोजना नहीं बनायी गयी थी, अपितु तेरहवें वित्त की किस्तें प्राप्त होने पर चिन्हित कार्यों हेतु, उनके पूर्ण किये जाने के समय सीमा निर्धारण किये बिना ही निधियों का आवंटन किया गया था। साथ ही, कोई वार्षिक योजना अनुमोदन हेतु उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति को प्रस्तुत नहीं की गयी।

vuq'kalk% प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण के लिये आवश्कता के उचित निर्धारण के बाद योजना तैयार की जानी चाहिये।

5-7-2 xj&vuqeU; dk;ksa dk djk;k tkuk

तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान, व्यय की शर्तों से आबद्व नही थे और चार सेवाओं यथा जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं वर्षा जल निकासी पर केन्द्रित थे। फिर भी, तेरहवें वित्त आयोग की प्रथम किस्त ₹ 137.46 करोड़ (जुलाई 2010) को अवमुक्त करते समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान के निश्चित प्रतिशत का उपयोग अन्य सेवाओं, जैसे–सड़क नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण, पाक्रिगं स्थल की रखरखाव, हैण्डपम्पों की स्थापना एवं अनुरक्षण, मार्ग प्रकाश एवं नागरिक सुविधाओं इत्यादि पर करने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये, जोकि तेरहवें वित्त आयोग के दिशा–निर्देशों में उल्लिखित उद्देश्यों के विपरीत था, जिसके परिणामस्वरुप 31 नमूना जाँच किये गये स्थानीय निकायों पर ₹ 2.48 करोड़ किया गया व्यय गैर अनुमन्य था *¼ifjf'k"V 5-11½*।

यद्यपि, वर्ष 2011–15 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 2,993.44[6] करोड़ उतरोत्तर अनुदान (2010–11 की द्वितीय किस्त से) अवमुक्त किये गये, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के दिशा–निर्देशों में परिभाषित उद्देश्यों के अनुसार, अनुदानों का उपयोग करने हेतु निर्देश जारी किये गये। अग्रेतर, जॉच में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये 34 शहरी स्थानीय निकायों ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट वर्णित दिशा–निर्देशों के बाद भी ₹ 9.77 करोड़ का व्यय गैर अनुमन्य कार्यो पर किया *¼ifjf'k"V 5-11½*।

इस प्रकार, ₹ 12.25 करोड़ का व्यय तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत गैर–अनुमन्य सेवाओं पर किया गया था।

5-7-3 uxj ipk;rksa dh fy;s ekudksa dk vf/klfpr u fd;k tkuk

तेरहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के प्रस्तर 6.4.10 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों को,

[6] ₹ 3,130.90 – ₹ 137.46

उत्तरोत्तर वित्तीय वर्ष में चार सेवा क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्त करने के लिये, न्यूनतम मानक स्तर सूचकांक निर्गत किये जाने थे। तथापि, अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायतों के लिये चार सेवा क्षेत्रों में प्रत्येक सूचक के लिये न्यूनतम मानक निर्धारित करने के लिये अधिसूचना निर्गत नहीं की गयी। इस प्रकार, 33 नमूना जाँच किये गये नगर पंचायतों में बिना लक्ष्य निर्धारित किये ₹ 30.10 करोड़ *¼ifjf'k"V 5-12½* के कार्य निष्पादित किये गये।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, निदेशक, स्थानीय निकाय ने उत्तर में बताया (जुलाई 2015) कि उपरोक्त मानक नगर पालिकाओं के लिये निर्धारित किये गये थे न कि नगर पंचायतों के लिये। उत्तर सही नहीं था, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार नगर पंचायतें भी नगर पालिकाओं का भाग हैं इस प्रकार उपरोक्त वर्णित मानक नगर पंचायतों के लिये भी निर्धारित किये जाने थे।

dk;kZU;u

5-8 uxj fuxe] vyhx<+

5-8-1 uxjh; Bksl vif'k"V izcU/ku

नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा 2010–15 की अवधि में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत पांच कार्यो पर ₹ 1.33 करोड़ व्यय किया गया।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य, बाहरी संस्था से ठेके पर कराना था। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2014–15 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष नगर निगम अलीगढ़ द्वारा निम्नलिखित उपलब्धियाँ सूचित की गयीं:

Lkkj.kh 2% lsok {ks= ekudksa esa miyfC/k;ksa dk fooj.k

¼izfr'kr esa½

Ø0 l0	iLrkfor lpd	ekud ¼Hkkjr ljdkj½	y{; ¼mRrj inns'k ljdkj½	miyfC/k
1.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा में घरेलू स्तरीय आच्छादन	100	73	73
2.	नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण की क्षमता	100	100	100
3.	नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की सीमा	100	100	100
4.	नगरीय ठोस अपशिष्ट के उठाने की सीमा	80	80	80
5.	नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिकी निस्तारण की सीमा	100	100	100
6.	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रवंधन लागत वसूली की सीमा	100	10	10
7.	नगरीय ठोस अपशिष्ट शुल्क की वसूली की क्षमता	90	38	38
8.	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण की क्षमता	80	80	80

(स्रोतः नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

इस प्रकार, नगर निगम अलीगढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत सभी मानकों के निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया गया। जबकि, अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त वर्णित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति वास्तविक रुप से सही नहीं थी क्योंकि

नगर निगम अलीगढ़ में अक्रियाशील नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रसंस्करण प्लांट (24.07.15)

अभिलेखों की नमूना जॉच और संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि फर्म द्वारा शहर के सात सफाई वार्डो में से केवल चार वार्डो में ठोस अपशिष्ट का घर–घर एकत्रीकरण किया गया था तथा फर्म द्वारा इन वार्डों से एकत्रित किये गये ठोस अपशिष्टों को ढलाव घर में फेंका जा रहा था और ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध प्रसंस्करण प्लाण्ट के अक्रियाशील होने के कारण ठोस अपशिष्ट का पृथक्कीकरण भी नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, चार वार्डों में ठोस अपशिष्टों का प्रसंस्करण एवं निस्तारण नहीं किया जा रहा था। शेष तीन सफाई वार्डो में अपशिष्ट को घर–घर एकत्रित नहीं किया जा रहा था और नगर निगम अलीगढ़ द्वारा ठोस अपशिष्ट का पृथक्कीकरण, प्रसंस्करण और निस्तारण किये बिना ही स्थानीय एकत्रीतकरण स्थल से अपशिष्ट निस्तारण स्थल तक परिवहन किया जा रहा था।

tho&fpfdRlk vif'k"V

जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का अभिप्राय किसी भी स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान में मनुष्य या पशुओं के निदान, उपचार अथवा टीकाकरण के दौरान उत्पन्न हुए अपशिष्ट से है। पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा सन् 2000 में संशोधित, जैव–चिकित्सा अपशिष्ट (हथालन और प्रबन्धन) नियम 1998 अधिनियम की धारा 6, 8 और 25 के अर्न्तगत अधिसूचित किया गया। जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण एवं हथालन के प्रबन्धन के लिये नियमों में निर्धारित मानकों के साथ सभी सम्बन्धित उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है।

लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ द्वारा जिले के सरकारी चिकित्सालयों में जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु फर्म के साथ अनुबन्ध किया गया था, जिसका वार्षिक नवीनीकरण किया जाना था। तथापि, जॉच में पाया गया कि जिला अलीगढ़ में मार्च 2013 से अनुबन्ध का नवीनीकरण नहीं किया गया, और इस प्रकार जिले के किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का उचित प्रबन्ध सुनिश्चत नहीं किया गया। इस प्रकार, अनुबन्ध के नवीनीकरण के बिना ही फर्म पिछले दो वर्ष से जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण का कार्य कर रही थी और निस्तारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आच्छादित न करते हुए केवल जिला अस्पताल को ही सुविधायें प्रदान कर रही थी।

5-8-2 o"kkZ ty fudklh

नगर निगम अलीगढ़ द्वारा वर्ष 2014–15 में वर्षा जल निकासी के संदर्भ में 64 कार्यों पर ₹ 17.74 करोड़ का व्यय किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्षा जल निकासी के लिए वर्ष 2014–15 की अवधि में निर्धारित किये गये लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों को lkj.kh 3 में दिया गया है:

Lkkj.kh 3% lsok Lrj ekud dh miyfC/k;ksa dk fooj.k

Ø0 l0	o"kkZ ty fudklh dk ekun.M	ekud Hkkjr ljdkj	y{; mRrj izns'k ljdkj	miyfC/k
1.	वर्षा जल निकासी नेटवर्क का आच्छादन (प्रतिशत में)	100	66	66
2.	जल भराव/बाढ़ प्रकरण	0	24	24

(स्रोतः नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

नगर निगम अलीगढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत उपलब्धि सूचित की गयी। यद्यपि लेखापरीक्षा के दौरान निम्न कमियाँ सज्ञान में आयी।

5-8-2-1 viw.kZ ukyk

वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड 5, भाग 1 के नियम 378 के अनुसार किसी ऐसी भूमि पर कार्य आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए, जिसे सक्षम सिविल अधिकारी द्वारा ऐसा किये जाने योग्य घोषित नहीं किया गया हो। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि नगर निगम अलीगढ़ में खैर रोड, नगला मसानी क्रासिंग पर भूसा की टाल से ईदगाह क्रासिंग तक एक नाला धनराशि ₹ 14.39 लाख के व्यय के बाद भी अपूर्ण था। नाले के संरेखण में एक मन्दिर और अतिक्रमण होने के कारण नाले को पूर्ण नहीं किया जा सका था। इस प्रकार निर्विवाद स्थल को सुनिश्चित किये बिना कार्य प्रारम्भ किये जाने के परिणामस्वरुप अपूर्ण रहे नाले पर किया गया ₹ 14.39 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि नाले के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि नगर निगम द्वारा विवाद रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य प्रारम्भ कराया गया।

5-8-2-2 vi;qDr midj.k

नगर निगम, अलीगढ़ के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि आवश्यकताओं का त्रुटिपूर्ण आकलन करने के कारण ₹ 25.81 लाख मूल्य के जनरेटर एवं कॉपर केबिल क्रय किये गये जो वर्ष 2012 से निष्क्रिय पड़े थे। अतः नगर निगम द्वारा अनुपयोगी उपकरणों के क्रय पर परिहार्य व्यय किया गया था।

5-8-3 i;kZoj.k izHkko

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम में भू–भरण स्थल को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ऐसी भूमि में किया जाना चाहिए जो भूमिगत, सतह जल प्रदूषण, वायु द्वारा उड़ायी गंदगी, दुर्गन्ध, आग, पक्षी, कीट अथवा कृन्तकों और भूमि कटाव से बचाव हेतु सुविधा से परिपूर्ण हो। यह नियम पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये बनाये गये थे।

नाले को अलीगढ नाला और जफारी नाला से जोड़ा गया (23.07.2016)

नगर निगम अलीगढ़ की लेखापरीक्षा में हमने पाया कि 66 नालों के दूषित पानी को बगैर उनका शोधन किये सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई के उपयोग के लिए दो नालों (अलीगढ नाला एवं जाफरी नाला) में सीधे जोड़ा गया था। नगर निगम द्वारा न तो जल निकासी के लिये कोई योजना तैयार की गयी और न ही नालों के पानी के शोधन के लिये कोई संयत्र स्थापित किया गया। इस प्रकार, नालों का अनियोजित निर्माण, जिले के सभी नालों के अशोधित पानी को सिंचाई विभाग के इन दो नालों में गिराने के परिणामस्वरूप सिंचाई के प्रयोजन हेतु पानी को प्रदूषित एवं पर्यावरण को परोक्ष रूप से प्रभावित कर रहा था।

अधिशासी अभियंता, अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर (सिंचाई विभाग) ने स्वीकार किया कि नगर निगम, अलीगढ़ के नाले, सिचांई प्रयोजन हेतु बने अलीगढ़ नाला और जाफरी नाला से सीधे जोड़े गये हैं जिस कारण इन दोनों नालों का प्रदूषण स्तर बढ़ गया।

vuq'kalk% सरकार द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के दिशा–निर्देश के सेवा स्तर मानकों को प्राप्त करने के लिये कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

5-9 uxj fuxe] fQjkstkckn

5-9-1 tykifrZ lsok;sa

नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा 2010–15 की अवधि में जलापूर्ति सेवा सम्बन्धी 111 कार्यों पर ₹ 4.19 करोड़ व्यय किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 के लिये जलापूर्ति सेवा में निर्धारित किये गये लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि lkj.kh 4 में दी गयी है:

lkj.kh 4% lsok Lrj ekudksa dh miyfC/k dk fooj.k

Ø0 l0	tykifrZ dh fy;s iLrkfor lsdrd	ekud ¼Hkkjr ljdkj½	y{; ¼mRrj izns'k ljdkj½	miyfC/k
1.	जलापूर्ति संयोजन का आच्छादन (प्रतिशत में)	100	38	39
2.	अन्तिम उपभोक्ता तक प्रतिव्यक्ति पानी की उपलब्धता (एलपीसीडी में)	135	70	131
3.	जलसंयोजनों के लिये मीटर लगााने की सीमा (प्रतिशत में)	100	0	0
4.	गैर–राजस्व पानी की मात्रा (प्रतिशत में)	20	9	5
5.	जलापूर्ति की निरंतरता (घंटों में)	24	5	4.50
6.	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता (प्रतिशत में)	100	80	91
7.	जल की गुणवत्ता (प्रतिशत में)	80	100	100
8.	जलापूर्ति सेवाओं में लागत वसूली (प्रतिशत में)	100	89	59
9.	जलापूर्ति से सम्बन्धित शुल्कों के संग्रह में दक्षता (प्रतिशत में)	90	44	11

(स्रोतः नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि कुल 1,01,597 भवनों के सापेक्ष केवल 40,148 भवनों (60 प्रतिशत) में जलापूर्ति का संयोजन किया गया था। नगर निगम फिरोजाबाद में जलापूर्ति संयोजनों में मीटर नहीं लगे थे। लेखापरीक्षा के दौरान नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा जलापूर्ति कार्यों से सम्बंधित संज्ञान में आये अन्य प्रकरणों की चर्चा निम्नवत की गयी है–

5-9-1-1 ifjgk;Z 0;;

नगर निगम फिरोजाबाद की जॉच में पाया गया कि में तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत यहां 185 सबमर्सिबल पम्प (2012–14) स्थापित किये गये जिन पर ₹ 71.03 लाख व्यय किया गया जबकि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वर्ष 2034 तक की आवश्यकता के लिये पहले से ही जलापूर्ति परियोजना स्थापित की जा चुकी थी एवं नगर निगम को हस्तगत किया जा चुका था (अगस्त 2011)। इस प्रकार, नगर निगम ने इन सबमर्सिबल पम्पों की स्थापना पर ₹ 71.03 लाख को परिहार्य व्यय किया।

अग्रेतर जॉच में पाया गया कि नगर निगम में कुल 239 ट्यूबवेल/सबमर्सिबल पम्प में से केवल 189 क्रियाशील थे और शेष 50 अक्रियाशील थे। अग्रेतर, नगर निगम के अभिलेखों के अनुसार केवल 116 ट्यूबवेल/सबमर्सिबल पम्प विद्युत संयोजित थे। इस प्रकार ट्यूबवेल/सबमर्सिबल पम्प की स्थापना और इसके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया गया था। इंगित किये जाने पर नगर आयुक्त द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया और बताया गया कि जल स्तर गिर जाने से पूर्व स्थापित नलकूपों की क्षमता में कमी आने के कारण इन पम्पों को स्थापित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योकि जलनिगम द्वारा पम्पों की स्थापना वर्ष 2034 तक की अवधि के लिये गयी थी एवं मांगे जाने के बावजूद कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नही कराये गये थे (जून 2015)।

5-9-2 lhojst dk;Z

इस सेवा के अन्तर्गत सूचकों के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। यद्यपि, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा कराये गये सीवरेज कार्यों के निष्पादन में लेखापरीक्षा द्वारा पायी गयी कमियों की चर्चा नीचे की गयी है:

5-9-2-1 vfØ;k'khy lhoj i.kkyh

उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के साथ सीवर लाइन की परियोजना भी बनायी जानी थी। जबकि, केवल सीवर लाइन तैयार की गयी और नगर निगम फिरोजाबाद को हस्तगत की गयी (अगस्त 2012)। अग्रेतर जांच में पाया गया कि नगर निगम में जून 2015 तक सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की स्थापना के लिये भूमि उपलब्ध कराने में विफल रहा। भूमि की अनुपलब्धता के कारण जल निगम सीवेज प्रशोधन संयंत्रों तैयार नहीं कर सका (जून 2015)। इसप्रकार, सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की अनुपलब्धता के कारण संयोजित सीवर लाइन क्रियाशील नहीं की जा सकी थी (जून 2015)।

5-9-3 uxjh; Bksl vif'k"V izcU/ku

नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा 2010–15 की अवधि में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत 56 कार्यों पर ₹ 4.00 करोड़ व्यय किया गया। इस सेवा के अन्तर्गत सूचकों के लिये लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये वर्ष 2007 में परियोजना स्वीकृत की गयी थी लेकिन नगर निगम, फिरोजाबाद इस उद्देश्य के लिये आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने में विफल रहा और परियोजना मार्च 2015 तक पूर्ण नहीं की जा सकी। इस प्रकार, नगर निगम फिरोजाबाद में ठोस अपशिष्ट का घर–घर एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, कम्पोस्टिंग और वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित नही किया जा सका था (जून 2015)।

5-9-4 o"kk ty fudklh

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्षा जल निकासी के लिए वर्ष 2014–15 में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियाँ lkj.kh 5 में दर्शायी गयी हैं:

lkj.kh 5% lsok Lrj ekud dh miyfC/k;ka dk fooj.k

Ø0 l0	o"kk ty fudklh ekud	ekud ¼Hkkjr ljdkj½	y{; ¼mRrj izns'k ljdkj½	miyfC/k
1.	वर्षा जल निकासी का नेटवर्क का आच्छादन (प्रतिशत में)	100	51	100
2.	जल भराव/बाढ़ क्षेत्रों के प्रकरण	0	0	0

(स्रोत: नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा शत–प्रतिशत उपलब्धि सूचित की गयी। यद्यपि, नगर निगम द्वारा वर्षा जल निकासी के कराये गये कार्यों की लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये प्रकरणों की चर्चा नीचे की गयी:

5-9-4-1 vi.k uky

वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड 5 के भाग 1 के नियम 378 के अनुसार किसी ऐसी भूमि पर कार्य आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए, जिसके सन्दर्भ में सक्षम सिविल अधिकारी द्वारा ऐसा किया जाना घोषित नहीं किया गया हो। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि नगर निगम, फिरोजाबाद में आकाशवाणी रोड गली संख्या 3 से गॉधी के घर तक नाला निर्माण पर किये गये ₹ 20.23 लाख के व्यय के बाद भी मार्च 2015 तक अपूर्ण था। नाले के सीध में एक विद्युत ट्रांसफार्मर आने के कारण इसको पूर्ण नहीं किया जा सका था। इस प्रकार विवाद रहित भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना कार्य प्रारम्भ किये जाने के परिणामस्वरुप अपूर्ण नाले के निर्माण पर ₹ 20.23 लाख का किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

5-10 uxj fuxe y[kuÅ

5-10-1 lhoj dk;Z

नगर निगम, लखनऊ में वर्ष 2010–15 की अवधि में 122 कार्यों पर ₹ 4.38 करोड़ का व्यय किया गया। नगर निगम, लखनऊ में सीवेज प्रबन्धन के अन्तर्गत सेवा मानक स्तर की उपलब्धि की स्थिति lkj.kh 6 में दर्शायी गयी है।

lkj.kh 6% lsok ekud Lrj esa miyfC/k;ksa dk fooj.k

¼izfr'kr esa½

Ø0 l0	iSjkfeVj lwpd	ekud ¼Hkkjr ljdkj½	y{; ¼mRrj izns'k ljdkj½	miyfC/k ¼2014&15½
1.	शौचालय का आच्छादन	100	76	70
2.	अपशिष्ट जल नेटवर्क सेवाओं का आच्छादन	100	63	69
3.	अपशिष्ट जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता	100	88	84
4.	अपशिष्ट जल उपचार क्षमता की पर्याप्तता	100	88	84
5.	उपचारित अपशिष्ट जल के पुर्नचक्रण और पुनरउपयोग की सीमा	100	0	0
6.	उपचारित अवशिष्ट जल की गुणवत्ता	100	70	67
7.	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	80	92
8.	अपशिष्ट जल प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता	100	40	28
9.	सीवेज मूल्य वसूली में दक्षता	90	80	88

(स्रोत: नगर निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नगर निगम, लखनऊ चार सूचक सेवा क्षेत्रों में लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका था।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कुल जनित 675 मिलीयन लीटर प्रतिदिन सीवेज के सापेक्ष नगर निगम, लखनऊ द्वारा दौलतगंज एवं भरवारा में दो सीवेज प्रशोधन संयंत्र क्रमशः 70 मिलीयन लीटर प्रतिदिन एवं 345 मिलीयन लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्थापित किये गये थे। इनमें से दौलतगंज के सीवेज प्रशोधन संयंत्र 70 मिलीयन लीटर प्रतिदिन क्षमता से कार्य कर रही थी जबकि भरवारा स्थित दूसरी सीवेज प्रशोधन संयंत्र की स्थिति इसके संचालन/रखरखाव के लिये उत्तरदायी फर्म द्वारा खराब रख–रखाव/असंचालन के कारण स्थापना (जनवरी 2011) से उत्तरोत्तर क्षीण हो रही थी। संयंत्र भी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर रहा था। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के अनुरक्षण का कार्य प्रगति पर है और 115 मिलीयन लीटर प्रतिदिन की एक इकाई क्रियाशील है। इस प्रकार, अप्रभावी/अपर्याप्त शोधन सुविधा के कारण केवल 185 मिलीयन लीटर प्रतिदिन सीवेज ही शोधित हो रहा था (दौलतगंज 70 मिलीयन लीटर प्रतिदिन और भरवारा 115 मिलीयन लीटर प्रतिदिन) और गैरशोधित सीवेज गोमती नदी में बहाया जा रहा था।

5-10-2 uxjh; Bksl vif'k"V izcU/ku

नगर निगम लखनऊ द्वारा 2010–15 की अवधि में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत 16 कार्यो पर ₹ 11.75 करोड़ का व्यय किया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये निर्धारित किये गये वर्ष 2014–15 के लक्ष्यों के सापेक्ष नगर निगम लखनऊ द्वारा सूचित उपलब्धियों का विवरण निम्नवत दर्शाया गया है:

lkj.kh 7% lsok ekud Lrj e miyfC/k;ksa dk fooj.k

¼izfr'kr e½

Ø0 l0	iLrkfor lsdrd	ekud ¼Hkkjr ljdkj½	y{; ¼mRrj izns'k ljdkj½	miyfC/k
1.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा में घरेलू स्तरीय आच्छादन	100	62	56
2.	नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण की क्षमता	100	100	99
3.	नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की सीमा	100	39	68
4.	नगरीय ठोस अपशिष्ट के उठाने की सीमा	80	80	47
5.	नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिकी निस्तारण की सीमा	100	0	0
6.	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रवंधन लागत वसूली की सीमा	100	100	82
7.	नगरीय ठोस अपशिष्ट शुल्क की वसूली की क्षमता	90	90	92
8.	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण की क्षमता	80	80	100

(स्रोतः नगर निगम लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

इस प्रकार, चार सूचकों के सापेक्ष सेवा स्तर मानक प्राप्त नहीं किये गये और तीन में अधिक प्राप्त थे। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि सेवा स्तर मानको के सापेक्ष उपरोक्त वर्णित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की स्थिति वास्तविक स्थिति के अनुरूप

नहीं थी। जाँच में पाया गया कि ठोस अपशिष्ट का घर–घर से एकत्रीकरण, 110 वार्डों में से 57 वार्डों में किया जा रहा था और नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के संचालित न होने के कारण अपशिष्ट के पृथक्कीकरण का कार्य इसके लिये उत्तरदायी फर्म द्वारा वर्ष 2010 से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था।

tlo&fpfdRlh; vif'k"V

जैसा कि प्रस्तर 5.8.1 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा में पाया गया कि कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा जिले के सरकारी चिकित्सालयों के जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु एक फर्म के साथ अनुबन्ध किया गया था, जिसका वार्षिक नवीनीकरण किया जाना था।

सामुदायिक केन्द्र मलीहाबाद लखनऊ की दीवार के नजदीक फैला जैव चिकित्सीय अवशिष्ट (07.06.2015)

यद्यपि, लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि जिला लखनऊ में अनुबन्ध का नवीनीकरण नहीं किया गया था, और जिले के किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उचित प्रबन्धन नहीं पाया गया। इस प्रकार, जून 2015 तक अनुबन्ध के नवीनीकरण किये बिना ही फर्म कार्य कर रही थी और जिले में उत्सर्जित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के लिये समुचित व्यवस्था नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा के मत को स्वीकार करते हुए उल्लिखित किया गया कि शीघ्र ही अनुबंध का नवीनीकरण किया जायेगा।

5.10.3 vkx d [krj l fuiVu dh O;oLFkk ,o mi'keu dh ;ktuk

दस लाख से अधिक जनसंख्या (जनगणना 2001) वाले सभी नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में आग के खतरे से निपटने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उद्देश्य की प्राप्ति के लिये, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2011–15 की अवधि में विभिन्न चरणों में छः नगर निगमों में उपकरणों की आपूर्ति और निर्माण कार्यों के निष्पादन की कार्ययोजना अधिसूचित (मार्च 2011) की गयी। लखनऊ नगर निगम, की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011–15 की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार से कुल अवमुक्त धनराशि ₹ 10.56[7] करोड में से ₹ 6.27 करोड़ हाइड्रोलिक प्लेटफार्म एवं वाटर बाउजर के क्रय के लिये महानिदेशक अग्निशमन सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ को और भूमिगत जलाशय और हाइड्रेन्ट के निर्माण के लिये ₹ 2.92 करोड जल संस्थान को दिया गया। अभिलेखों की जांच और संयुक्त भौतिक निरीक्षण में निम्न तथ्य संज्ञान में आये:

[7] हाइड्रोलिक प्लेटफार्मः ₹ 5.99 करोड़; वाटर बाउजरः ₹ 28 लाख; भूमिगत जलाशय एवं हाइड्रेन्टः ₹ 2.92 करोड़; जीवन रक्षक के साथ एम्बुलेन्स एवं जीप को खींचने वाला वाहनः ₹ 1.36 करोड़।

5.10.3.1 vfXu 'kked midj.k d: Ø; e: foyEc

महानिदेशक, अग्नि शमन सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराये गये कुल ₹ 6.27 करोड़ (वर्ष 2013–14 मे ₹ 4.78[8] करोड़ और मार्च 2015 में अतिरिक्त ₹ 1.49 करोड़) में से ₹ 5.99 करोड़ भारतीय राज्य व्यापार निगम से हाइड्रोलिक प्लेटफार्म के क्रय हेतु आवंटित किया गया था। महानिदेशक अग्नि शमन सेवा द्वारा जनवरी 2015 में हाइड्रोलिक प्लेटफार्म प्राप्त किया गया परन्तु इसे अगस्त 2015 तक स्थापित नहीं किया गया था। इस प्रकार अग्नि शमन संयंत्रों के छः माह के विलम्ब के उपरान्त भी संचालन में नही लाया जा सका था।

अग्नि शमन संयंत्रों को प्रयोग किये जाने हेतु उत्तरदायी मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा भी लेखापरीक्षा तथ्यों की पुष्टि की गयी।

5-10-3-2 vuRiknd 0;;

लखनऊ शहर के पुराने क्षेत्रों में अग्नि शमन के लिये पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल संस्थान लखनऊ (दिसम्बर 2012) के माध्यम से ट्यूबबेल सहित 10 स्थैतिक टैंकों[9] के निर्माण के लिये नगर निगम द्वारा ₹ 2.92 करोड़ स्वीकृत किया गया।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण, सतखण्डा पुलिस स्टेशन और जनाना पाक्र अमीनाबाद लखनऊ में पम्प हाउस सहित दो स्थैतिक टैंको का निर्माण पर ₹ 9.53 लाख का व्यय करने के उपरान्त निर्मित स्थैतिक टैकों/पम्प हाउसों का परित्याग कर दिया गया। इन जोनल पम्पिंग स्टेशनों को बाद में क्रमशः राधाग्राम और सुलेमानखान को स्थानान्तरित कर दिया गया। परिणामस्वरुप, निर्माण किये गये पम्प हाउस न केवल अप्रयुक्त पड़े थे बल्कि उन पर किया गया व्यय ₹ 9.53 लाख अनुत्पादित रहा। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर महाप्रबन्धक, जलसंस्थान द्वारा बताया गया कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण, वाटर टैंक का निर्माण नये स्थल पर स्थानान्तरित किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विवाद रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य प्रारम्भ किया गया था।

5.11 uxj ikfydk ifj"kn

नमूना जाँच हेतु चयनित 12 जनपदों में 18 नगर पालिका परिषद के 2010–15 की अवधि के अभिलेखों की जाँच की गयी *¼ifjf'k"V 5-1½*। जाँच में तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के उपभोग के सम्बन्ध में विभिन्न कमियाँ संज्ञान में आयी, जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग चार सेवा क्षेत्रों में किया जाना था यथा, जलापूर्ति सीवरेज, वर्षा–जल निकासी और नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन। वर्ष 2010–15 की अवधि में नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषद द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण lkj.kh 8 में दिया गया है:

---

[8] हाइड्रोलिक प्लेटफार्मः ₹ 4.50 करोड़ एवं वाटर बाउजरः ₹ 0.28 करोड।

[9] अग्नि शमन के लिये 100 किलोलीटर क्षमता का पानी टैंक।

Lkj.kh 8% ueuk tkp fd;s x;s uxj ikfydk ifj"kn esa o"kZ 2010&15 dh vof/k esa djk;s x;s dk;Z

¼₹ yk[k esa½

o"kZ	tykiwfrZ		lhojst		o"kkZ&ty fudklh		uxjh; Bksl vif'k"V izcU/ku		vU; dk;Z	
	dk;Z	0;;	dk;Z	0;;	dk;Z	0;;	dk;Z	0;;	dk;Z	0;;
2010-11	30	84.54	4	95.13	49	217.82	38	212.68	75	195.25
2011-12	26	133.42	3	19.49	60	406.39	27	194.24	14	63.61
2012-13	28	262.32	0	0	157	1371.36	36	368.70	15	71.40
2013-14	78	486.93	3	15.82	159	1878.64	75	602.18	14	39.31
2014-15	34	181.79	3	54.21	83	633.13	15	141.74	14	51.54
;kx	**196**	**1,149.00**	**13**	**184.65**	**508**	**4,507.34**	**191**	**1,519.54**	**132**	**421.11**

(स्रोतः नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

pkVZ 3% o"kZ 2010&15 dh vof/k esa pkj lsokvksa esa fd;k x;k 0;;

¼izfr'kr esa½

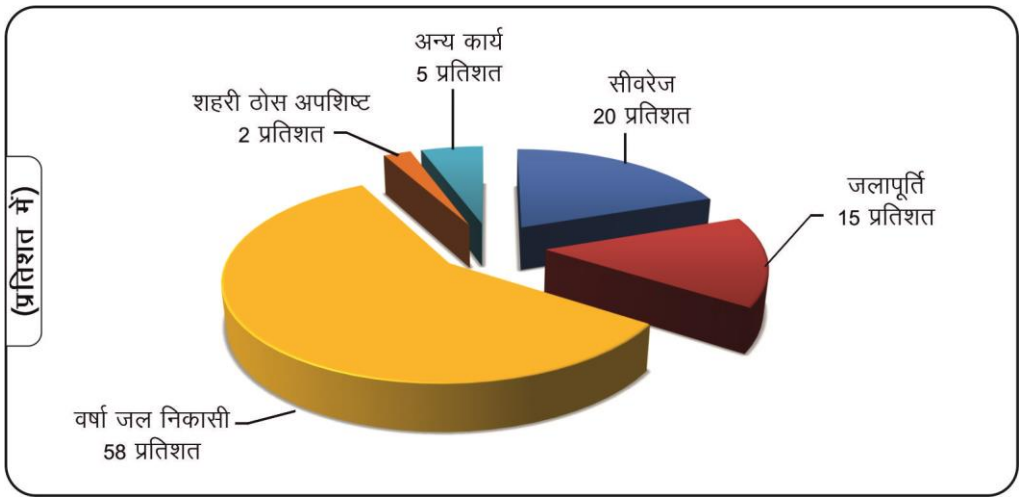

(स्रोतः चयनित नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त pkVZ 3 में स्पष्ट है कि सभी 18 चयनित नगर पालिका परिषदों में चार सेवाओं में से अधिकतम व्यय वर्षा जल निकासी पर किया गया जबकि सभी मे सीवरेज कार्यों की उपेक्षा की गयी।

5-11-1 tykiwfrZ lsok,a

जलापूर्ति सेवा के अन्तर्गत चयनित नगर पालिका परिषदों द्वारा 2010–15 की अवधि में 196 कार्यो में ₹ 11.49 करोड़ व्यय किया गया

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य और चयनित नगर पालिका परिषद द्वारा सूचित उपलब्धि नीचे lkj.kh 9 में दी गयीः

lkj.kh 9% lsok Lrj ekudksa dh miyfC/k dk fooj.k

Ø0 l0	tykiwfrZ ladsrd	Ekkud ¼Hkkjr ljdkj½	Yk{; Lrj ¼2014&15½	miyfC/k dk Lrj
1.	जलापूर्ति संयोजन का आच्छादन (प्रतिशत में)	100	2-73	2-68
2.	अन्तिम उपभोक्ता तक प्रतिव्यक्ति पानी की उपलब्धता (एलपीसीडी में)	135	30-104	30- 118
3.	जलसंयोजन में मीटर की सीमा (प्रतिशत में)	100	0-5	0
4.	गैर–राजस्व पानी की सीमा (प्रतिशत में)	20	5-30	2-37

5.	पानी आपूर्ति की निरंतरता (घंटों में)	24	4-17	3-17
6.	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता (प्रतिशत में)	100	80-100	80-100
7.	पानी की गुणवत्ता की आपूर्ति (प्रतिशत में)	80	80-101	90-100
8.	पानी आपूर्ति सेवाओं में लागत वसूली (प्रतिशत में)	100	9-79	11-54
9.	पानी आपूर्ति से सम्बन्धित शुल्कों के संग्रह में दक्षता (प्रतिशत में)	90	17-90	13-95

(स्रोतः नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश सूचकों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानक के सापेक्ष लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ बहुत कम थी और किसी भी नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषद मे जलापूर्ति संयोजन में मीटर नहीं पाया गया। नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषदों में भवनों के जलापूर्ति संयोजन में 21 से 98 प्रतिशत की कमी थी।

5-11-1-1 fcuk vko';drk dh Ø; fd;k tkuk

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के भाग प्रथम के नियम 256 के अनुसार, निधि के अवरोधन से बचने के लिये किसी भी सामग्री का क्रय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नगर पालिका परिषद गोण्डा ने तेंरहवें वित्त आयोग के अनुदान से ₹ 6.03 लाख के जलकल उपकरणों, यथा–एल्बो, पाइप इत्यादि के क्रय पर व्यय किये जबकि, उपकरण दिसम्बर 2011 से अप्रयुक्त पडे हुए थे। यह इंगित करता है कि सामग्री का क्रय बिना वास्तविक आवश्यकता के आकलन किये किया गया था। इसे इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए बताया कि भविष्य में आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री का क्रय किया जायेगा।

5-11-1-2 vykHkdkjh 0;;

नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद, सीतापुर में वर्ष 2010–11 में पिछड़ा क्षेत्रीय अनुदान निधि योजना के अंतर्गत ₹ 27.96 लाख की लागत से पूर्व स्थापित छः मिनी ट्यूबवेल के द्वारा जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 2011–14 की अवधि में पाइप लाइन विस्तार, जनरेटर एवं पी.वी.सी ओवरहेड टैंक की स्थापना पर तेरहवें वित्त आयोग से ₹ 32.49 लाख व्यय किया गया था। अभिलेखों की जांच और संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि यह ट्यूबवेल अप्रयुक्त पड़े हुए थे, क्योकि नगर पालिका परिषद द्वारा अप्रैल 2015 तक किसी भी घर में एक भी जल संयोजन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, ₹ 32.49 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी महमूदाबाद द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया और बताया गया कि स्थानीय जनता को भविष्य में अबाध जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु जनरेटर एवं टयूबवेल स्थापित किये गये थे।

5-11-2 lhojst dk;Z

अट्ठारह चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 2010–15 की अवधि में सीवरेज से सम्बन्धित 13 कार्यों पर ₹ 1.85 करोड़ का व्यय किया गया।

जॉच में पाया गया कि नगर पालिका परिषद, इटावा को छोड़कर किसी भी चयनित नगर पालिका परिषद में सीवरेज कार्य नहीं कराया गया, यद्यपि इन सभी में सीवरेज सुविधा का अभाव था।

5-11-2-1 vfØ;k'khy lhojst flLVe

नगर पालिका परिषद, इटावा में, एक सीवेज प्रशोधन संयंत्र मुख्य पम्पिंग स्टेशन के साथ 22.15 किमी सीवरेज सिस्टम जून 2013 में बनाया गया, परन्तु 52,130 भवनों के सापेक्ष मात्र तीन भवनों को अब तक सीवरेज सिस्टम से जोड़ा गया। अग्रेतर, सीवरेज सिस्टम अक्रियाशील होने के कारण तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान से क्रय की गयी सीवर जेटिंग मशीन (दिसम्बर 2014) पर किया गया व्यय ₹ 29.89 लाख भी अलाभकारी रहा। यद्यपि एक नाला, जो कि यमुना एक्शन प्लान के अन्तर्गत पूर्व निर्मित दूसरी सीवेज प्रशोधन संयंत्र से जुड़ा था, उसे बन्द करके सीवेज प्रशोधन संयंत्र और मुख्य पम्पिंग स्टेशन को क्रियाशील करने के लिये दूषित पानी को इस नई सीवेज प्रशोधन संयंत्र की तरफ मोड़ दिया गया। लेखापरीक्षा में इंगित करने पर, अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि सीवरेज सिस्टम को भवनों से जोड़ने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सीवरेज सिस्टम का निर्माण करने से पूर्व उसके औचित्य का आकलन नहीं किया गया था।

5-11-3 uxjh; Bksl vif'k"V izcU/ku

अट्ठारह नमूना जाँच किये गये नगरीय निकायों द्वारा 2010–15 की अवधि में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित 191 कार्यों पर ₹ 15.20 करोड़ का व्यय किया गया।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषदों द्वारा सूचित उपलब्धि lkj.kh 10 में दी गयी है:

lkj.kh 10½ lsok Lrj ekudksa ds miyfC/k dk fooj.k

¼izfr'kr esa½

Ø0 l0	Ukxjh; Bksl vif'k"V ladsrd	ekud ¼Hkkjr ljdkj½	y{; ¼mRrj izns'k ljdkj½	miyfC/k dk Lrj
1.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा में घरेलू स्तरीय क्षेत्र	100	0	0–16
2.	नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण की क्षमता	100	100–109	97–100
3.	नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण की सीमा	100	0–100	0–100
4.	नगरीय ठोस अपशिष्ट के अंतिमीकरण की सीमा	80	0	0–55
5.	नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से निस्तारण की सीमा	100	0–100	0–100
6.	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रवंधन सेवा में लागत वसूली की सीमा	100	0	0
7.	नगरीय ठोस अपशिष्ट शुल्क प्रभार वसूली की क्षमता	90	0	0
8.	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण की क्षमता	80	78–80	0–100

(स्रोतः नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें)

उपरोक्त lkj.kh से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया था। यद्यपि, 18 नगर पालिका परिषदों के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि घर–घर से अपशिष्ट के एकत्रीकरण हेतु मात्र नगर पालिका परिषद, सीतापुर में ही वाहय एजेन्सी द्वारा किया जा रहा था। अग्रेतर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया कि नमूना जाँच किये गये 18 नगर पालिका परिषदों में से मात्र नगर पालिका परिषद, इटावा में ही ठोस अपशिष्ट के संशोधन एवं निस्तारण की सुविधायें उपलब्ध थी। कार्य के निष्पादन में पायी गयी कमियों की आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

5-11-3-1 dMk ,d=hdj.k LFky dk vi.k fodkl

नगरीय ठोस अपशिष्टों के निस्तारण के लिये कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों का विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की एक मूलभूत आवश्यकता है। जांच में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये 18 नगर पालिका परिषद में से 12 नगर पालिका परिषद में कूड़ा एकत्रीकरण स्थल, भूमि की अनुपलब्धता के कारण उपलब्ध नहीं थे। छः नगर पालिका परिषदों में कूड़ा एकत्रीकरण स्थल के लिए भूमि उपलब्ध थी जिसमें से तीन नगर पालिका परिषदों द्वारा 2010–15 की अवधि में कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों की स्थापना के लिए ₹ 54.61 लाख का व्यय किया गया *½ifjf'k"V 5-13½*। फिर भी किसी नगर पालिका परिषद द्वारा विभिन्न कारणों से इन कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप इन 18 नगर पालिका परिषदों में प्रतिमाह जनित 12,542 एम. टी. नगरीय ठोस अपशिष्ट अभी भी अनधिकृत रूप से खुले स्थान, यथा सड़क के किनारे नीचे गड्ढों, तालाबों आदि में एकत्रित किया जा रहा था *½ifjf'k"V 5-14½*। लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्बंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि डम्पिंग स्थल तक पहुँच मार्ग पर और स्थानीय नागरिकों के साथ विवाद के कारण डम्पिंग स्थल का उपयोग नहीं किया जा रहा था।

5-11-3-2 LVkd dh vuiyC/krk

नगर पालिका परिषद, गोंडा में जून 2014 में कूड़ा निस्तारण के लिए 50 डस्टबिन ₹. 12.20 लाख में क्रय किये गये थे। स्टाक पंजिका की जाँच में पाया गया कि 50 डस्टबिन में से 27 डस्टबिन उसी दिन वितरित कर दिये। स्टाक पंजिका के अनुसार 23 डस्टबिन अवशेष के रुप में दर्शाये गये परन्तु स्टाक के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में एक भी डस्टबिन भण्डार में नहीं पाया गया। अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि स्टाक पंजिका में प्राप्ति/निर्गत डस्टबिनों की प्रविष्टि नहीं की गयी थी। इस प्रकार स्टाक में ₹ 5.61 लाख की लागत के कम प्रदर्शित डस्टबिनों का आकलंन किया जाना आवश्यक है।

5-11-3-3 vi;qDRk midj.k

नमूना जाँच किये गये 18 नगर पालिका परिषदों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चार नगर पालिका परिषदों में ₹ 37.07 लाख की लागत के उपकरण/मशीनें क्रय किये जाने के बाद से अप्रयुक्त रखी हुई थी *½ifjf'k"V 5-15½*। इस प्रकार नगर पालिका परिषद द्वारा बिना उचित नियोजन के उपकरणों का क्रय किये जाने के परिणामस्वरूप यह उपकरण अप्रयक्त थे। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि भविष्य मे आवश्यकताओं के अनुरूप उपकरणों को उपयोग में लाया जायेगा।

tho&fpfdRlh; vif'k"V

इस प्रतिवेदन के प्रस्तर 5.8.1 में उल्लिखित प्रावधानों के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये जनपदों में से मात्र पांच[10] जनपदों की नगर पालिका परिषदों के अन्तर्गत सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय जैव–अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निजी संस्थाओं से अनुबंध निष्पादित किये गये थे। इन अनुबंधों का प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाना था। जांच में पाया गया कि जनपद सुलतानपुर के अतिरिक्त अन्य किसी में भी अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया गया था और कथित संस्थायें

[10] बहराइच, इटावा, गोण्डा, मऊ, सुल्तानपुर

बिना अनुबंध को नवीनीकृत किये ही क्रियाशील रही। उपरोक्त पांच जनपदों में स्थित अतिरिक्त/नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जैव–चिकित्सीय अपशिष्ट के उचित निस्तारण हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा कोई भी व्यवस्था नही किये जाने के कारण इनमें चिकित्सीय जैविक अपशिष्ट के निस्तारण की कोई उपयुक्त प्रणाली नहीं थी।

अग्रेतर, जाँच में यह भी पाया गया कि जैव–चिकित्सीय अपशिष्ट को जिला अस्पताल (पुरूष) इटावा के परिसर में एवं अस्पताल की चहारदीवारी के पास स्थित तालाब में फेंका गया था। जिला अस्पताल (महिला) इटावा के वार्डो में अलग–अलग तीन रगों के कूड़ेदान भी नहीं स्थापित थे। जैसा कि फोटोग्राफ में दर्शित है, जनपद इटावा में बिना रंगीन थैली के चार वार्डों के मध्य मात्र एक कूड़ादान स्थापित किया गया था।

इटावा में अस्पताल की चहार दीवारी के निकट स्थित तालाब मे पाया गया जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (25.06.2015)

इटावा में महिला जिला अस्पताल में चार वार्डों के लिये पायी गयी केवल वाल्टी (25.06.2015)

5-11-4 o"kk&ty fudklh

वर्ष 2010–15 के दौरान नमूना जाँच किये गये 18 नगर पालिका परिषदों द्वारा वर्षा–जल निकासी से सम्बन्धित 508 कार्यों पर ₹ 45.07 करोड़ व्यय किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं उसके सापेक्ष नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषदों द्वारा उपलब्धियों का विवरण lkj.kh 11 में दिया गया है।

lkj.kh 11% lok Lrj ekudksa dh miyfC/k dk fooj.k

Ø0 l0	0k"kk ty fudklh ekud	ekud ¼Hkkjr ljdkj½	y{; ¼mRrj izn'k ljdkj½	miyfC/k dk Lrj
1.	वर्षा जल निकासी नेटवर्क का आच्छादन (प्रतिशत में)	100	16–101	15–100
2.	जल भराव/बाढ़ के प्रकरण	0	0–24	0–24

(स्रोतः नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें)

सेवा मानकों का लक्ष्य निर्धारित किये जाने का उद्देश्य था कि नालों का उचित रूप से निर्माण करके क्षेत्रों में जलभराव/बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के प्रकरणों को कम किया जा सके। नमूना जाँच किये गये 18 नगर पालिका परिषदों में से मात्र सात[11] नगर पालिका परिषदों द्वारा जल भराव/बाढ़ के शून्य प्रकरण का लक्ष्य पूर्ण किया गया था।

[11] नगर पालिका परिषद, दादरी (गौतमबुद्ध नगर), नगर पालिका परिषद, अतरौली (अलीगढ़ नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद (सीतापुर), नगर पालिका परिषद, खैर (अलीगढ़), नगर पालिका परिषद, भरथना (इटावा), नगर पालिका परिषद, नानपारा (बहराइच), नगर पालिका परिषद, नवाबगंज (गोण्डा)।

अभिलेखों की जाँच में अनुचित नियोजन, अपूर्ण नाले, स्थानीय लोगों से विवाद इत्यादि प्रकरण प्रकाश में आये, जिसकी चर्चा आगे के प्रस्तरों मे की गयी है।

5-11-4-1 vi.k uky

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इस प्रतिवेदन के प्रस्तर 5.8.2.1 में चर्चा किये गये प्रावधानों के विपरीत, 18 नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषदों में से नौ नगर पालिका परिषदों द्वारा ₹ 1.66 करोड़ व्यय किये जाने के बावजूद 16 नालों का निर्माण अपूर्ण था। इन नालों को विभिन्न कारणों जैसे नालों के संरेखण में विवाद, स्थानीय जनता के गतिरोध इत्यादि के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका। इस प्रकार, बिना भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये नालों का निर्माण प्रारम्भ किये जाने के कारण किया गया है ₹ 1.66 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। *½ifjf'k"V 5-16¼*। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि इन नालों को पूर्ण कर भविष्य में क्रियाशील किया जायेगा।

5-11-4-2 mfpr LFkku ij ukyk dk l;kftr u fd;k tkuk

नमूना जाँच किये गये 18 नगर पालिका परिषदों में से दो इकाईयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ₹ 42.76 लाख की लागत से दो उपनालों का निर्माण किया गया था किन्तु प्रमुख नालें से संयोजित नहीं किया सका, क्योंकि उस नाले के अंतिम स्थान पर कोई मुख्य नाला/जलाशय अस्तित्व में नहीं था। स्थल विवाद एवं अनुचित संरेखण के कारण नाले को कार्यशील नहीं किया जा सका जिससे ₹ 42.76 लाख का व्यय निष्फल रहा। *½ifjf'k"V 5-17¼* लेखापरीक्षा में इगित किये जाने पर सम्बंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि भविष्य में और नाले निर्मित करके ये नाले क्रियाशील किये जायेगे।

5-11-4-3 foRrh; lhek dk mYy?ku

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश[12] (अक्टूबर 2012) के अनुसार नाला निर्माण हेतु नगर पालिका परिषद की अधिकतम व्यय सीमा ₹ 25 लाख निर्धारित की गयी थी इससे अधिक लागत के नालों का निर्माण उत्तर प्रदेश जल निगम की निर्माण एवं डिजाइन सेवा द्वारा किया जाना था।

नगर पालिका परिषद, ललितपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एक नाला सीतापाठ रोड से फूलचन्द्र के घर तक वित्तीय सीमा का उल्लंघन करते हुए ₹ 31.47 लाख के व्यय से बनाया गया था जो कि अनियमित था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, अधिशासी अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं बताया गया कि भविष्य में नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

5-12 uxj ipk;r

तेरहवें वित्त आयोग के निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, नमूना जांच हेतु चयनित 12 जनपदों के 33 नगर पंचायतों के वर्ष 2010–15 की अवधि के अभिलेखों *½ifjf'k"V 5-1¼* की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गयी कमियों को नीचे चर्चा की गयी है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुदानों के चार सेवा क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवरेज व्यवस्था, वर्षा जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उपयोग किया जाना था। वर्ष 2010–15

[12] शासनादेश संख्या 3788/9–5–2012/111/बजट/2010 दिनांक 09–10–2012

के अन्तर्गत नमूना जाँच किये गये नगर पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण lkj.kh 12 एवं pkVZ 3 में दिया गया है।

lkj.kh 12% 2010&15 dh nkSjku p;fur uxj iapk;r esa djk;s x;s dk;Z

¼₹ yk[k esa½

Ok"kZ	tykiwfrZ		Lkhojst		Ok"kkZ ty fudklh		Bkslvif'k"V izcU/ku		vU; dk;Z	
	dk;Z	O;;	dk;Z	O;;	dk;Z	O;;	dk;Z	O;;	dk;Z	O;;
2010-11	32	20.15	3	0.82	32	62.27	46	106.16	75	50.58
2011-12	32	63.68	3	3.43	44	93.32	38	77.86	29	55.74
2012-13	45	89.83	5	62.56	73	246.32	65	132.69	22	52.23
2013-14	54	208.44	1	6.08	114	452.01	55	295.36	22	63.47
2014-15	30	118.99	1	8.53	75	394.29	53	244.57	21	61.37
;ksx	**193**	**501.09**	**13**	**81.42**	**338**	**1,248.21**	**257**	**856.64**	**169**	**283.39**

(स्रोतः नमूना जाँच किये गये नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

pkVZ 4% o"kZ 2010&15 dh vof/k esa pkj lsokvksa esa fd;k x;k O;;

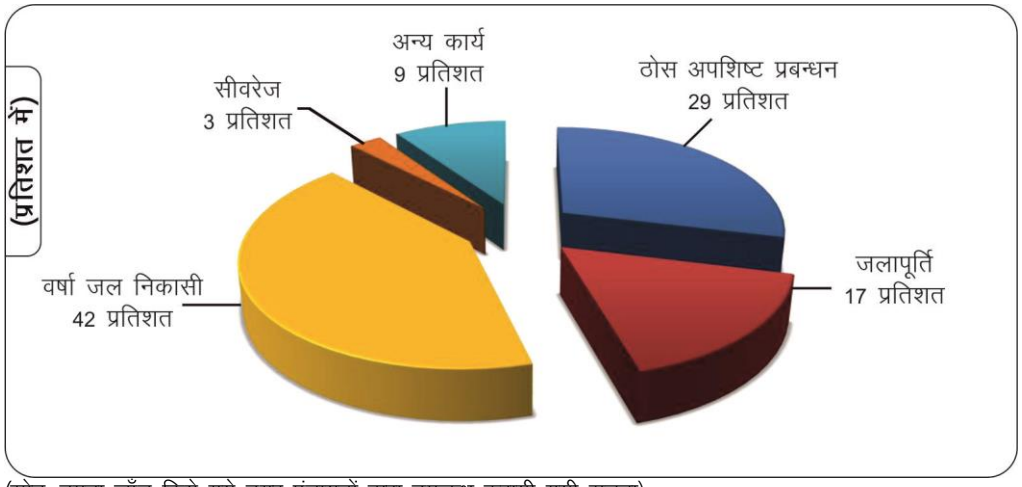

¼izfr'kr esa½

(स्रोतः नमूना जाँच किये गये नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि चारों सेवाओं में अधिकतम व्यय वर्षा जल निकासी पर किया गया, जबकि सीवरेज कार्यों को सभी नमूना जाँच किये गये 33 नगर पंचायतों द्वारा उपेक्षित किया गया था।

5-12-1 tykiwfrZ lsok;sa

नमूना जांच में चयनित 33 नगर पंचायतों द्वारा 2010–15 की अवधि में जलापूर्ति सेवाओं के अन्तर्गत 193 कार्यों पर ₹ 5.01 करोड़ का व्यय किया गया था। अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, सम्पादित कराये गये कार्यों में पायी गयी कमियों की नीचे चर्चा की गयी है:

- नगर निकाय क्षेत्र में स्थित नलकूपों की विघुत वैकल्पिक व्यवस्था हेतु विद्युत संयोजन हेतु नगर पंचायत, सैदपुर, गाजीपुर द्वारा 400 किलो वोल्ट एम्पीयर क्षमता के दो अदद ट्राली युक्त ट्रान्सफार्मर फरवरी 2015 में (लागत ₹ 22.43 लाख) में क्रय किये गये थे। जांच में पाया गया कि इन ट्रान्सफार्मरों की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसी कार्य हेतु वर्ष 2011–12 में दो अदद 40 किलो वोल्ट एम्पीयर जनरेटर क्रय किये

गये थे, जो क्रियाशील थे। फलस्वरूप, एक ट्रान्सफार्मर फरवरी 2015 से भंडार में निष्क्रिय पड़ा था एवं दूसरे ट्रान्सफार्मर को विद्युत विभाग की मुख्य विद्युत आपूर्ति लाइन से संयोजित किया गया था। उक्त तथ्यों की पुष्टि लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण में की गयी एवं नीचे दिये गये चित्र मे प्रदर्शित है।

नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर स्टोर में अप्रयुक्त ट्रांसफार्मर (13/07/2015)

नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर में मुख्य विद्युत लाइन से संयोजित ट्रांसफार्मर (13/07/2015)

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्य विद्युत लाइन के कम विघुत भार को बढाने के लिये आवश्यकता पड़ने पर ट्रान्सफार्मर का उपयोग किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि उपयुक्त विघुत भार की विद्युत आपूर्ति का दायित्व विद्युत विभाग का था।

5-12-2 lhojt dk;

वर्ष 2010–15 की अवधि में नमूना जाँच किये गये 33 नगर पंचायतों में से आठ नगर पंचायतों द्वारा सीवरेज व्यवस्था के अन्तर्गत 13 कार्यों पर ₹ 81.42 लख का व्यय किया गया था। किसी भी नमूना जाँच किये गये नगर पंचायत द्वारा सीवरेज व्यवस्था संबंधी कोई कार्य नहीं कराया गया था जबकि इन नगर पंचायतों में सीवेज निकासी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

नगर पंचायत, अडारी, मऊ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 में एक सीवर सक्शन मशीन के क्रय पर ₹ 7.80 लाख का व्यय किया गया था जो कि निष्क्रिय पड़ी थी। मशीन के रख रखाव पर वर्ष 2014–15 में ₹ 2.65 लाख का अतिरिक्त व्यय भी किया गया था। इस प्रकार सीवर सक्शन मशीन के क्रय व रख–रखाव पर जुलाई 2015 तक किया गया कुल ₹ 10.45 लाख का व्यय अलाभकारी हुआ। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि भविष्य में मशीन को उपयोग में लाया जायेगा।

5-12-3 uxjh; Bksl vif'k"V izcU/ku

नमूना जाँच किये गये 33 नगर पंचायतों द्वारा वर्ष 2010–15 की अवधि में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत 257 कार्यों पर ₹ 8.57 करोड़ का व्यय किया गया था। अभिलेखों के जांच की अवधि में सम्पादित कराये गये कार्यों में कमियां पायी गयी जिसकी चर्चा अग्रेत्तर प्रस्तरों में की गयी है।

5-12-3-1 dMk ,d=hdj.k LFkyksa dk vi.k fodkl

नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन के अन्तर्गत अपशिष्टों के निस्तारण हेतु कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों का विकास किया जाना बुनियादी आवश्यकता थी। नमूना जाँच किये

गये 33 नगर पंचायतों में से 21 नगर पंचायतों में भूमि उपलब्ध न होने के कारण कूड़ा एकत्रीकरण स्थल उपलब्ध नहीं थे। उनमें से 12 नगर पंचायतों के पास कूड़ा एकत्रीकरण स्थल के लिए भूमि उपलब्ध थी, तथा नौ नगर पंचायतों द्वारा 2010–15 की अवधि में कूड़ा एकत्रीकरण स्थल के लिए भूमि क्रय करने अथवा विकास कार्यों में ₹ 75.62 लाख का व्यय किया गया था *¼ifjf'k"V 5-13½*। किन्तु किसी भी नमूना जाँच किये गये नगर पंचायत द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार नमूना जाँच किये गये 33 नगर पंचायतों में प्रतिमाह जनित 1,610 मैट्रिक टन कूड़े का निस्तारण अनधिकृत रूप से खुले में, जैसे–सड़कों के किनारे, निचली भूमि, जलाशय इत्यादि में किया जा रहा था*¼ifjf'k"V 5-14½*। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर सम्बंधित अधिशासी अधिकारियों द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि स्थल तक पहुँच मार्ग में स्थानीय जनता के साथ विवाद होने के कारण कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों का उपयोग नहीं किया जा सका है।

5-12-3-2 nk"kiw.kZ LFky dk p;u fd;s tkus dk dkj.k vykHkdkjh 0;;

नगर पंचायत बकेवर, जनपद इटावा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011–12 में राजमार्ग के किनारे एवं विद्युत आपूर्ति घर के निकट ₹ 6.40 लाख[13] के व्यय से एक कूड़ाघर एवं ढलाव–घर का अगल–बगल निर्माण किया गया था। स्थल उपयुक्त नहीं पाया गया, क्योंकि कूड़ाघर के ऊपर से 33 किलो वोल्ट एम्पीयर विद्युत लाइन जा रही थी। फलस्वरूप, अधिशासी अभियता विद्युत वितरण खण्ड एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बकेवर के संयुक्त निरीक्षण के पश्चात स्थल को विहित प्रयोजन हेतु अनुपयुक्त होने के कारण निर्मित ढ़ांचे को पांच फीट तक ध्वस्त कर दिया गया था। (जून 2015)

नगर पंचायत बकेवर में राज्यमार्ग के किनारे विद्युत घर के निकट अप्रयुक्त कूड़ाघर एवं ढलाव घर (27/06/2015)

इस प्रकार दोषपूर्ण स्थल के चयन किये जाने के कारण नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिये अनुपयुक्त स्थल के निर्माण पर किया गया ₹ 6.40 लाख का व्यय अलाभकारी रहा एवं निर्मित ढांचे पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था जैसा कि नीचे चित्र में प्रदर्शित है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के त्रुटिपूर्ण निर्णय के कारण निधियों का दुरूपयोग हुआ।

5-12-3-3 fuf"Ø; midj.k

नमूना जाँच किये गये 33 नगर पंचायतों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि आठ नगर पंचायतों द्वारा चार सेवाओं से सम्बन्धित उपकरण/मशीन के क्रय पर ₹ 31.98 लाख व्यय किया गया था, जिसे क्रय किये जाने के पश्चात उपयोग में नहीं लाया गया था *¼ifjf'k"V 5-15½*। इस प्रकार, उचित नियोजन के अभाव मे नगर पंचायतों द्वारा

[13] कूड़ाघर पर ₹ 3.21 लाख एवं ढलाव पर ₹ 3.19 लाख का व्यय

क्रय किये गये उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सका अथवा क्षमता से कम उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्बंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि भविष्य में उपकरणों को उपयोग में लाया जायेगा।

5-12-4 o"kkZ ty fudklh

नमूना जांच में 33 नगर पंचायतों द्वारा वर्ष 2010–15 की अवधि में वर्षा जल निकासी के अन्तर्गत 338 कार्यों पर ₹ 12.48 करोड़ का व्यय किया गया था। अभिलेखों की जांच के दौरान सम्पादित कराये गये कार्यों मे कमियां पायी गयी, जिसकी चर्चा आगे के प्रस्तरों में की गयी है।

5-12-4-1 viw.kZ ukys

इस प्रतिवेदन के प्रस्तर 5.8.2.1 में इंगित प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि नमूना जांच में 33 नगर पंचायतों में से पांच नगर पंचायतों द्वारा छः नालों के निर्माण पर ₹ 25.76 लाख व्यय किये जाने के बावजूद नाले अपूर्ण थे। उक्त नालों के संरेखण में धार्मिक स्थलों, विद्युत खंभों ट्रान्सफार्मर एवं स्थानीय लोगों द्वारा विरोध, अतिक्रमण जैसे अवरोधों के कारण ये पूर्ण नहीं किये जा सके। इस प्रकार, बिना अविवादित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये नालों का निर्माण प्रारम्भ किये जाने से अपूर्ण नालों पर किया गया ₹ 27.76 लाख का व्यय अलाभकारी रहा *¼ifjf'k"V 5-16½*।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्बंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि भविष्य में इन नालों को पूर्ण कर क्रियाशील किया जायेगा।

5.12.4.2 ukyksa dk mi;qDr 'kh"kZ ls la;ksftr u fd;k tkuk

नमूना जांच में 33 नगर पंचायतों में से तीन नगर पंचायतों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ₹ 32.69 लाख व्यय करके सात सहायक नाली निर्माण किया गया था किन्तु नाली के अन्तिम छोर पर मुख्य नाले/जलाशय के न होने, स्थलीय विवाद एवं अनुचित संरेखण के कारण इन नालों को मुख्य नालों/जलाशय से जोड़ा नहीं जा सका था। इस प्रकार उक्त नालों को क्रियाशील नहीं किया जा सका और ₹ 32.69 लाख का व्यय अलाभकारी रहा *¼ifjf'k"V 5-17½*। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्बंधित अधिशासी अधिकारियों द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि भविष्य में और नाले निर्मित करके इन नालों को क्रियाशील किया जायेगा।

5.12.4.3 foRrh; lhek dk mYya?ku

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश[14] (अक्टूबर 2012) के अनुसार, नगर पंचायतों द्वारा नाला निर्माण पर व्यय की अधिकतम सीमा ₹ पांच लाख निर्धारित की गयी थी। इससे अधिक व्यय सीमा के नाले का निर्माण एवं डिजाइन सेवा, जल निगम, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाना था।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 33 नगर पंचायत में से सात नगर पंचायतों द्वारा उनकी वित्तीय सीमा का उल्लंघन करते हुए नौ नालों के निर्माण पर

[14] शासनादेश संख्या 3788/9–5–2012/111/बजट/2010 दिनांक 09–10–2012।

₹ 1.17 करोड़ का व्यय अनियमित रूप से किया गया था। *¼ifjf'k"V 5-18½* लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्बंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5-13 vuqJo.k

प्रत्येक श्रेणी के अनुदान के सम्बन्ध में विशेष शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन जुलाई 2010 में किया गया था।

उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार होनी चाहिए थी। सचिव, नगर विकास विभाग, लखनऊ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से नहीं हो रही थी। एक वर्ष में न्यूनतम चार बैठकें आयोजित किये जाने के मानक के सापेक्ष, उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2012–13 एवं 2014–15 में क्रमशः दो एवं तीन बैठकें आयोजित की गयी थी। वर्ष 2010–15 में हुई 23 बैठकों में से मात्र छः बैठकों का कार्यवृत्त लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया था जिससे स्पष्ट था कि उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति ने स्थानीय निकायों द्वारा अनुदानों का उपयोग एवं कार्यों के सम्पादन की समीक्षा करने की बजाय निकायों को केवल स्थानीय नगर निकायों को अनुदान की संस्तुति की एवं प्रशासनिक विभाग से उपभोग प्रमाण–पत्रों की माँग की थी। इस प्रकार अनुश्रवण प्रक्रिया का राज्य एवं जनपद स्तर पर पूर्ण रूप से अभाव था।

vuq'kalk स्थानीय नगर निकायों के तीनों स्तरों पर पर्याप्त अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5-14 ifjlhek;sa

यह अनिवार्य है कि सभी क्रियाकलापों एवं लेने–देनों का उचित रूप से प्रलेखन एवं पर्याप्त साक्ष्य हो। किन्तु अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में कार्य सम्पादन से सम्बन्धित मुख्य अभिलेख, जैसे– वार्षिक योजना, आगणन पंजिका, कार्य पंजिका, सम्पत्ति पंजिका एवं अनुबंध पंजिका या तो अनुचित रूप से या बिल्कुल ही नहीं बनाये गये थे।

शहरी स्थानीय निकायों में उचित प्रलेखन के अभाव में, जैसे– साक्ष्य का अभाव, सेवा मानकों के अन्तिम स्तर पर उपलब्धि की स्थिति को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। कार्य वास्तव में सम्पादित किये गये थे अथवा नहीं, इसे उचित रूप से सत्यापित किया जाना भी सम्भव नहीं था।

5-15 f'kdk;r fuokj.k iz.kkyh

नमूना जाँच में शहरी स्थानीय निकायों में कहीं भी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित नहीं थी। जल संस्थान, लखनऊ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि यद्यपि शिकायत निवारण के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था, किन्तु शिकायतों के निवारण के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। शिकायतें दर्ज करने के लिए मात्र एक शिकायत पंजिका रखी गयी थी, जिसमें शिकायतों की प्राप्ति एवं निवारण उसी दिन दिखाया गया था, जो प्रदर्शित करता है कि शिकायतों का वास्तव में उपयुक्त रूप से निवारण नहीं किया जा रहा था। नगर पालिका परिषद, भरथना में प्राप्त शिकायतों की

जाँच में पाया गया कि हैण्ड पम्प रिबोरिंग के सम्बन्ध में छः शिकायतों की शिकायत पंजिका में प्रविष्टि नहीं की गयी थी।

इसी प्रकार, नगर निगम, फिरोजाबाद में शिकायतों का कोई अनुश्रवण नहीं किया गया था क्योंकि शिकायतों के निस्तारण की कोई प्रविष्टि शिकायत पंजिका में नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013–14 के पश्चात शिकायत पंजिका में कोई शिकायत की प्रविष्टि नहीं की गयी थी।

5-16 fu"d"kZ ,oa vuq'kalk

- सामान्य निष्पादन अनुदान को तेरहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों में निर्धारित पूर्व शर्तो, जैसे नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को पटल पर रखा जाना, राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा संहिता का अनुपालन, अग्नि सुरंक्षा मानकों को लागू किया जाना इत्यादि,के अनुपालन किए बिना अवमुक्त किया गया था।

¼iLrj 5-6-4½

vuq'kalk

विशिष्ट अनुदानों की प्राप्ति हेतु शर्तो का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।

- वित्तीय प्रबन्धन अपर्याप्त था क्योंकि नमूना जाँच में शहरी स्थानीय निकायों में से अधिकांश में निधियों के स्थानान्तरण में विलम्ब, निधियों का व्यावर्तन एवं ब्याज के जमा न होने सम्बन्धी प्रकरण प्रकाश में आये। निर्धारित दोहरी लेखा प्रणाली पूरी तरह से अब तक लागू नहीं की जा सकी थी।

¼iLrj 5-6-10½

vuq'kalk

उपयोगिता प्रमाण पत्रों को समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी शहरी स्थानीय निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली शीघ्र लागू की जानी चाहिए।

- वार्षिक योजनायें नहीं बनायी गयी थी। निधियों के प्राप्ति के पश्चात तदर्थ रुप से केवल कार्य योजनायें बनायी गयी थी एवं इन्हें सक्षम प्राधिकारी से पुनःरीक्षित नहीं कराया गया था।

¼iLrj 5-7-1½

vuq'kalk

योजनाओं के प्रभावी सम्पादन एवं अनुश्रवण के लिये आवश्यकताओं के समुचित आंकलन के पश्चात ही योजनायें बनायी जानी चाहिए।

- शासन द्वारा निश्चित किये गये सेवा मानकों के लक्ष्यों के अनुसार चारों सेवाओं, यथा जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी के अर्न्तगत कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित नहीं किया गया था।।

¼iLrj 5-8½

vuq'kalk

तेरहवें वित आयोग में निर्धारित सेवा स्तर मानको को प्राप्त करते हुए कार्यो का सम्पादन शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- राज्य एवं जिला स्तर पर अनुश्रवण व्यवस्था का अभाव था।

¼iSjk 5-13½

vuq'kalk

शहरी स्थानीय निकायों के सभी तीनों स्तरों में पर्याप्त अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया था, (सितम्बर 2015)। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।